CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4—632/दस–2000–604/82 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

लखनऊ दिनांक : 5 सितम्बर, 2000

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सा–4–670/दस—99–604/82 टी०सी०, दिनांक 11 जनवरी, 2000 के संशोधित प्रस्तर–1 में यह व्यवस्था है कि अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात् रेलमार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गई यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। उक्त व्यवस्था के बाद भी ऐसे स्थानों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जो रेल / सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तथा जिसकी यात्रा जलयान अथवा वायुयान द्वारा ही की जा सकती है। इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिए वायुयान अथवा जलमार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

2—इस संबंध में मुझसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित स्थान की यात्रा करने के पश्चात् कर्मचारी को अवकाश यात्रा उपभोग करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा में कन्याकुमारी जाता है तो उसे कन्याकुमारी के किसी होटल, लांज, रेस्ट्रां, टैक्सी अथवा स्थानीय ट्रेवेल एजेन्सी की रसीद अथवा तमिलनाडु परिवहन निगम की बस की टिकट (मूलरूप) में प्रस्तुत करना होगा।

3—इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा।

4—यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4—632 (1)/दस–2000–604/82 टी०सी०–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार, द्वितीय, उ० प्र०, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

4—निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5—शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7—समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों के यहां तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगण।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 76 सा० वित्त 23-9-2000 (1382) 8,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या–सा–4–578/दस–2000

लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–वेतन समिति उ०प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के पश्चात् उठायी गई शंकाओं/प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उ०प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99–600–99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पूर्व से कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–73/दस–89–603/88, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी सरकारी सेवकों को अनुमन्य थीं :–

1—"क" वर्ग के नगरों से भिन्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक साधारण दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।

2—प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले सरकारी सेवक अनुमन्य रोड किलोमीटर भत्ता की दरों में 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे।

3—जब पी०ए०सी०/पुलिस दल के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिड़न्त इत्यादि के लिए अपने अस्थायी पड़ाव (बेस कैम्प) से क्षेत्र में जायें, जैसे एन्टी डक्वायटी अभियान में बेस कैम्प से बीहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जायें, तो उन्हें उस अवधि के लिए नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ता की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा।

4—महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद/लखनऊ तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के लिए सरकारी दौरे पर जाने वाले सरकारी सेवकों को नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन 10 रुपये की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य है।

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के जारी होने के पश्चात् शासन को कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें यह जिज्ञासायें की गयी हैं कि क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त सुविधायें समाप्त हो गई हैं क्योंकि उक्त कार्यालय ज्ञाप में इन सुविधाओं को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में कोई निर्देश निहित नहीं है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी सुविधायें पूर्व की भांति सरकारी सेवकों को यथावत् अनुमन्य रहेंगी।

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–सा–4–578 (1)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।

3—सचिवालय के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, लखनऊ।

5—निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 70 सा० वित्त–28-8-2000–(1214)–8,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000
लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :--उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (1997) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुये सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1488/दस-88-626/79, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 द्वारा किया गया था। इस सम्बन्ध में वेतन समिति 1997-99 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम-सं0	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें रुपये प्रतिमाह	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें रुपये प्रतिमाह
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0 मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	300	800
2	मोटर साइकिल/स्कूटर	120	350
3	मोपेड	50	150
4	साइकिल	20	50

2- यदि किसी मामलें में उक्त स्तम्भ-4 में अंकित दरों से ऊंची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो तो उसे भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

3- वाहन भत्ते की उक्त दरें केवल ऐसे मामलों में ही प्रभावी हैं, जिनमें सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं हेतु उपरोक्त वाहनों को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त के अधीन वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो।

4- पी0एम0ए0एस0 तथा दन्त चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को वाहन भत्ता उनके सामान्य कार्य के घण्टा के अतिरिक्त माह में कम से कम 25 विजिट पर ही अनुमन्य होगा और इस हेतु इन सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों, जिन्हें यह भत्ता अनुमन्य कराया जाय, उनकी अतिरिक्त विजिट का निर्धारित प्रारूप रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किया जाय। वाहन भत्ता का भुगतान अगले उच्च अधिकारी द्वारा न्यूनतम अतिरिक्त विजिट पूरे होने के प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद ही किया जाय।

5- वाहन भत्ते की उक्त दरें उन सरकारी सेवकों को अपनी कोटि के अनुसार अनुमन्य होंगी जिन्हें वित्तीय नियम संग्रह के परिशिष्ट [illegible] या शासन के वित्त विभाग की सहमति से/द्वारा स्वयं निर्गत किये गये आदेशों के अधीन वाहन भत्ता ग्राह्य हो।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6- वाहन भत्ते के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 तथा शासन द्वारा वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उनमें निहित समस्त अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

7- उक्त वाहन भत्ते को अब से "वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता" नाम से जाना जायेगा।

8- ये आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

वी0 के0 शर्मा,
सचिव।

संख्या-सा-4-229(I)/दस-2000-626/2000, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(5) शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
(8) वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-4-229(II)/दस-2000-626/2000, दिनांक 16 मार्च, 2000

उपर्युक्त की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 16 सा0 वित्त-19-4-2000-(205)-8,000-(आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4–670/दस–99-604-82 टी०सी०

प्रेषक,

श्रीं वी०के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2000

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–4–161/दस-98-604-82 दिनांक 28 फरवरी, 1998 के प्रस्तर (1) के निम्नांकित स्पष्टीकरण के स्थान पर उसके सामने अंकित स्पष्टीकरण को रखने के आदेश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये हैं :—

वर्तमान प्रस्तर (1)	**संशोधित प्रस्तर** (1)
(1) अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गई है अथवा चार्टर्ड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुमन्य नहीं है, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों, किन्तु ऐसी परिवहन सेवाएं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम, या अन्य राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित की जाती हों, तो ऐसे वाहनों से यात्रा की जा सकती है। अवकाश यात्रा निजी बस से उसी स्थिति में अनुमन्य होगी, जबकि ऐसे वाहन नियमित सेवा के रूप में निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुमोदन से संचालित हों।	*अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गयी हो अथवा चार्टर्ड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुमन्य नहीं हैं, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों। अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात् रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हुआ हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक* सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गयी यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। सड़क मार्ग यात्रा राज्य परिवहन निगम या परिवहन विभाग/प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, अनुमन्य होगी।

2—रेल यात्रा पर अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान तभी किया जाएगा जब यह यात्रा पूर्व आरक्षण कराकर की जाएगी तथा इसका साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार उपरोक्तानुसार बस यात्रा पर अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति/ भुगतान आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने पर ही की जाएगी।

3—इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा।

4—यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-670 (1)/दस–99–604-82 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

2—महालेखाकार, द्वितीय, उ० प्र०, लखनऊ।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।

4—निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5—शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

7—प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–149 सा० वित्त –28-1-2000– (1977)–2000—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-100/दस-2001

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001

विषयः– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य से सेवानिवृत्त होने पर गृह जनपद हेतु यात्रा भत्ता के भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित न हुए, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की जो उत्तरांचल राज्य में कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के मामलों में गृह जनपद की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता के स्वीकर्ता अधिकारी वही बने रहेंगे जो दिनांक 8-11-2000 तक थे और ऐसे दावे का नियमानुसार भुगतान प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेगा तथा जनसंख्या के आधार पर व्यय का प्रभाजन करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। दिनांक 8-11-2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के अवशेष भुगतानों की प्रक्रिया भी दिनांक 30-9-2001 तक वही बनी रहेगी जो पूर्व में थी किन्तु संबंधित स्वीकर्ता व भुगतानकर्ता अधिकारी नियमानुसार कार्य हेतु उ० प्र० सरकार के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे तथा उत्तरांचल राज्य किसी अनियमितता के संबंध में उनके विरुद्ध उ० प्र० राज्य सरकार की संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

2–इसी प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा भी जारी किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या सा–4–100 (1)/दस–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7–विधानसभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
8–राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस०-यू० पी०–ए० पी०–163 सा० वित्त–01.03.2001–(7211)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-554/दस-99-600/99

लखनऊ, दिनांक 30 जुलाई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—यात्रा भत्ता की गणना हेतु वेतन का अभिप्राय ।

यात्रा भत्ता विषयक कार्यालय ज्ञाप-संख्या संख्या सा- 4-395/दस- 99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वेतन का अभिप्राय निम्नवत् होगा :—

"वेतन का तात्पर्य दिनांक 1-1-96 से संशोधित वेतनमान में उस मूल वेतन से है जो वित्त (पदमापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या प0मा0नि0-357/दस-21 (एम)/87, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त यात्रा की तिथि को अनुमन्य हो; किन्तु नये वेतनमान में ही नियुक्ति होने की दशा में इसका तात्पर्य यात्रा की तिथि को अनुमन्य मूल वेतन से ही होगा अर्थात् उस वेतन से होगा जो मूल नियम-9 (21) (1) में अनुमन्य हो ।"

2--उक्त व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के प्रस्तर-2 के प्रारम्भ में सम्मिलित माना जायेगा ।

3--कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-6-99 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

मु0 हलीम खां,
सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या सा-4-554(1)/दस-99-600/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उ0 प्र0, लेखा-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
2—महालेखाकार, उ0 प्र0, आडिट, प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद ।
3—सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव ।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7—वित्त (पदमापदण्ड निर्धारण) अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 70 सा0 वित्त--27-8-99--(977)--1999--10,000 (मैक0) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या: सा-1-2-सा-4-जी0आई0-6/दस-2001-604/82

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2001

विषय: अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को 05 वर्ष के निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कैलेन्डर वर्ष के आधार पर अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के संबंध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की गयी थी । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्याधीन सेवकों के लिए उक्त अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष की अवधि के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 द्वारा प्रदेश में लागू की गयी सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा की योजना को इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निलम्बित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(1). ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी सेवा निवृत्ति में अवकाश यात्रा सुविधा निलम्बित किए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत होने की दिनांक को.

...2/--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

02 वर्ष से कम का समय रह गया है तथा उन्होंने ब्लाक अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग नहीं किया है, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

(2). ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा आदेश जारी होने के पूर्व अवकाश यात्रा प्रारम्भ की जा चुकी है वह अपनी वापसी की यात्रा नियमानुसार पूर्ण कर सकेंगे ।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा टिकट बुक कराये जा चुके हैं उन्हें निरस्त कराते हुए इस पर होने वाली क्षतिपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा कर्मचारी को कर दी जायेगी तथा यदि कोई अग्रिम दिया गया है तो उसे बिना किसी दण्ड ब्याज के वापस तुरन्त जमा करा लिया जायगा ।

(4). जहाँ तक प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का संबंध है वह अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होते हैं। इस विषय में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31011/3/2001-इस्ट(ए), दिनांक 02 मार्च, 2001 द्वारा आदेश निर्गत किए गये हैं । अतः इस राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध इस संबंध में शासनादेश के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगें ।

(5). अवकाश यात्रा सुविधा के निलम्बन आदेश प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णरूप से वित्त पोषित संस्थाओं पर भी लागू होंगें ।

भवदीय,

(वी० के० शर्मा)
सचिव

...3/--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-3(2)-सा-4-जी०आई०-6/दस-2001-604/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1). महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
(2). महालेखाकार, द्वितीय उ०प्र०, लखनऊ ।
(3). सचिव, विधान सभा/परिषद, विधान भवन, लखनऊ ।
(4). निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ ।
(5). शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव ।
(6). सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7). समस्त मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
(8). उ०प्र० के समस्त विभागाध्यक्षों के यहाँ तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगण ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4—394/दस-99-216/79

लखनऊ: दिनांक 4 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :-प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम-153 (1) के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थाई हो अथवा अस्थाई, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

2—वेतन समिति 1998 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश प्रदान करते हैं कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में जिसके अन्तर्गत अस्थाई सेवा भी है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3—उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

4—उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

5—संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

मु० हलीम खाँ,

सचिव।

संख्या-सा-4—394 (1)/दस-99-216/79-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6—वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 31 सा० वित्त—17-6-99—(424)—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-851/दस-98-202-70

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 1998।

विषय:—अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

कार्यालय ज्ञाप सामान्य-4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है, जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाता है।

2—उक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, के नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

3—यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी।

4—उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा-4-851(1)/दस-98-202-70 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा (आडिट) I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 117 सा० वित्त 19-11-98 (1652) 10,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-871/दस-1999

लखनऊ, दिनांक 25 मार्च, 2000

विषय—अवकाश अवधि में भत्तों की देयता।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-87 (ए) में यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवक वेतनमान में प्रत्यावर्तन के समय अवकाश की स्थिति को छोड़कर अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश पर जाता है तो उसके द्वारा अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समतुल्य दरों पर वेतन अनुमन्य होगा। अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-93 तथा सहायक नियम-(च) 147, 149, 150, 152 में यह व्यवस्था दी गई है। शासन में इस आशय के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कि अवकाश अवधि में विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों (प्रतिकर भत्तों को छोड़कर) का भुगतान किस सीमा तक अनुमन्य है।

2—इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्यतः जो विशेष वेतन अथवा भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं उन्हें अवकाश अवधि में दिये जाने का औचित्य नहीं है, परन्तु जो विशेष वेतन/भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं वे सवेतन अवकाश अवधि में दिये जाने चाहिए, यथा स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता। इन विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश अवधि में अधिकतम 120 दिन की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा, अर्थात् 120 दिन से अधिक के सवेतन अवकाश के प्रकरणों में यह भत्ते 120 दिन तक ही अनुमन्य होंगे।

3—ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा-4-871 (1)/दस-1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

3—महालेखाकार आडिट/लेखा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4—सचिव विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 9 सा० वित्त-10-4-2000—(93)—2000—10,000 (मेक०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-851 (1)/दस-98-202-70 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा (आडिट) I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- रजिस्टार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4- 851 /दस-98-202-70

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त [सामान्य] अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 1998

विषय:- अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप सासामान्य -4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है, जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाता है।

2- उक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, के नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

3- यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी।

4- उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,

[शिव प्रकाश]
संयुक्त सचिव।

[illegible] पृष्ठांकित [illegible] 2.12.98
अवकाश नकदीकरण की सुविधा — अब केवल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी को मिलेगी — Class I व II को नहीं क्योंकि उन्हें ये भी सुविधा नहीं है।

--2--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारीगण ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(5) सचिव, विधान सभा/परिषद, विधान भवन, लखनऊ ।

(6) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitta (Samanya) Anubhag - 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. G-4-525/X-96-201/76 dated, 19 August, 1996.

NOTIFICATION

No. G-4-525/X-96-201/76

Dated Lucknow. 19 August, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book, Volume II, parts II to IV.

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996.

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 81-B

2- In the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book Volume II, Parts II to IV,

2/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitta (Samanya) Anubhag - 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. G-4-525/X-96-201/76 dated, 19 August, 1996.

NOTIFICATION

No. G-4-525/X-96-201/76

Dated Lucknow. 19 August, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book, Volume II, parts II to IV.

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996.

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 81-B

2- In the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book Volume II, Parts II to IV,

2/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

in rule 81-B, ~~in~~ sub-rule (2), for clause (ii) set out in Column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely -

Column-1	Column-2
Existing clause	Clause as hereby substituted
(ii) No leave may be granted under this rules, unless the authority competent to sanction leave is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for.	(ii) Under this rule leave upto sixty days may be granted by the competent authority on recommendation of the authorized medical authority. Leave exceeding this period may not be granted unless the competent authority is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for.
(See also Subsidiary Rule 87)	(See also Subsidiary Rule-87)
Provided that, when a government servant dies during the treatment of his illness and the medical leave is otherwise due to such government servant	Provided that when a government servant dies during the treatment of

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Column-1	Column-2
the authority competent to grant leave, shall sanction the medical leave.	his illness and the medical leave is otherwise due to such government servant, the authority competent to grant leave shall sanction the medical leave.

By Order,

(Nripendra Misra)

Principal Secretary

No.G-4-525(i)/X-96-201/76 of dated

Copy forwarded for information and necessary action to the following-

1- Accountant General (Audit/Account I and II) Uttar Pradesh, Allahabad.

2- All heads of departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

3- All Finance Controllers/Senior most Officers in the Accounts wing.

4- All sections of the Secretariat.

5- Secretary, Assembly/Council, Uttar Pradesh LKO.

6- Director, Printing and Stationery Uttar Pradesh Allahabad with the request that the notification may please be printed in the next issue of State Gazette.

By Order,

(Shiv Prakash)

Joint Secretary

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित संभावना है ।

[सब्सीडियरी रूल-87 भी देखें]

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा ।

जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है ।

[सब्सीडियरी नियम-87 भी देखें]

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा ।

आज्ञा से,

[नृपेन्द्र मिश्र]

प्रमुख सचिव

संख्या सा-4-525[1]/दस-96-201/76 टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

[1] महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

------3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त [सामान्य] अनुभाग-4
संख्या सा-4-525/दस-96-201/76 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक: 19 अगस्त, 1996

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल [प्रथम संशोधन] नियमावली, 1996

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-[1] यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल [प्रथम संशोधन] नियमावली, 1996 कही जायगी ।

[2] यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-81-ख का संशोधन — 2- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स में, नियम-81-ख में, उप नियम [2] में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड [दो] के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
[दो] इस नियम के अधीन तब तक कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो	[दो] इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है । इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4—438/दस-2000-203-86

लखनऊ: दिनांक 3 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान की स्वीकृति अधिकारों का प्रतिनिधायन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-4-1130/दस-91-200-77, दिनांक 07 जनवरी, 1992 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा के प्रतिबन्ध के अधीन) की नकदीकरण स्वीकृत करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे।

2—वेतन समिति उ० प्र० (1997) के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सीमा को शासनादेश संख्या सा-4-393/दस-99-200-88, दिनांक 01 जुलाई, 1999 द्वारा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। अतः राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा 300 दिन तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को सहर्ष प्रदान करते हैं।

3—ये आदेश दिनांक 01 जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-438 (1)/दस-2000-203-86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय), उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्।

4—महामहिम राज्यपाल के सचिव।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 57 सा० वित्त—23-7-2000-(1037)—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4-393 (1)/दस-99-200/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम तथा द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1

6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 46 सा0वित्त-10-7-99-(612)-12,000 प्रतियां (इलै0/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88
लखनऊ : दिनांक : 1 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सेवानिवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी -4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्या-सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्या-सामान्य-4-1687/दस-83-200/77-टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है:-

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बंधित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5- सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु0 हलीम खाँ,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा-4—395/दस–99–600-99

लखनऊः दिनांकः 11 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–1307/दस–88-600/88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1—यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :–

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	*यात्रा की अधिकृत श्रेणी*
1	2	3
1	रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
3	रुपये 16400 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
4	रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2—टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।
5	रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3—टियर/ए० सी० चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
6	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

2—आनुषंगिक व्यय :–

(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम—23 (1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
1	रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि० मी०
2	रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	8.0 पैसे प्रति कि० मी०
3	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	5.0 पैसे प्रति कि० मी०

(II) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88
लखनऊ : दिनांक : 1 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषयः- सेवानिवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी -4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्या-सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्या-सामान्य-4-1687/दस-83-200/77-टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है:-

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बंधित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5- सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु0 हलीम खाँ,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4—395/दस-99-600-99
लखनऊः दिनांकः 11 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :-यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1307/दस-88-600/88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1—यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :-

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :-

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
3	रुपये 16400 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
4	रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2—टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।
5	रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3—टियर/ए० सी० चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
6	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

2—आनुषंगिक व्यय :-

(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम—23 (1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :-

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
1	रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि० मी०
2	रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	8.0 पैसे प्रति कि० मी०
3	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	5.0 पैसे प्रति कि० मी०

(II) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—दैनिक भत्ता :–

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :–

सरकारी सेवक का वर्ग	"क" वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी :–कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद।	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी :–मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ 1, 2 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)।
			(धनराशि रुपये में)
1	2	3	4
1- रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	155.00	125.00	100.00
2- रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	140.00	110.00	90.00
3- रुपये 6500 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	120.00	95.00	80.00
4- रुपये 4100 से रुपये 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	100.00	80.00	65.00
5- रुपये 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	65.00	50.00	.40.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों में रुपये 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :–

(रुपये में)

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	विशेष दैनिक भत्ते की दरें
1	2	3
1	रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400.00
2	रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	300.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिये दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं वे यथावत् रहेंगे।

4—सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता :–

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(I) रुपये 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :–

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए :–

	रुपये प्रति कि० मी०	
	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
(1) प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये	4.50	3.50
(2) 500 कि० मी० से अधिक परन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	3.25	2.75
(3) 1200 कि० मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिये	शून्य	शून्य

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रुपये 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि इस मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(II) रु० 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III) यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु० 1.75 प्रति कि० मी० के स्थान पर अब रु० 4.00 प्रति कि० मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-5 के आधार पर ही की जायेगी।

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।

स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें :—

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई—

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42 (2) (1) (111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :—

यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो :—

सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
1—रु० 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
2—रु० 8000 से रु० 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
3—रु० 6500 से रु० 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3000 कि०ग्रा०
4—रु० 4100 से रु० 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	2500 कि०ग्रा०
5—रु० 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	1250 कि०ग्रा०

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :—

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—दैनिक भत्ता :-

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :-

सरकारी सेवक का वर्ग	"क" वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी :-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद।	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी :-मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ 1, 2 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)।
			(धनराशि रुपये में)
1	2	3	4
1- रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	155.00	125.00	100.00
2- रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	140.00	110.00	90.00
3- रुपये 6500 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	120.00	95.00	80.00
4- रुपये 4100 से रुपये 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	100.00	80.00	65.00
5- रुपये 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	65.00	50.00	.40.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों में रुपये 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :-

(रुपये में)

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	विशेष दैनिक भत्ते की दरें
1	2	3
1	रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400.00
2	रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	300.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिये दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं वे यथावत् रहेंगे।

4—सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता :-

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(I) रुपये 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :–

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए :–

	रुपये प्रति कि० मी०	
	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
(1) प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये	4.50	3.50
(2) 500 कि० मी० से अधिक परन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	3.25	2.75
(3) 1200 कि० मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिये	शून्य	शून्य

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रुपये 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि इस मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(II) रु० 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III) यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु० 1.75 प्रति कि० मी० के स्थान पर अब रु० 4.00 प्रति कि० मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-5 के आधार पर ही की जायेगी।

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।

स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें :—

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई—

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42 (2) (1) (111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :—

यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो :—

सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
1—रु० 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
2—रु० 8000 से रु० 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
3—रु० 6500 से रु० 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3000 कि०ग्रा०
4—रु० 4100 से रु० 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	2500 कि०ग्रा०
5—रु० 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	1250 कि०ग्रा०

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :—

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(ब) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट.ट्रान्सफर ग्रान्ट)—

कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हाने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन अधिकतम रु० 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :—

क्रम-संख्या	वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रु० में)
1	रु० *6500* प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500.00
2	रु० *6499* प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले	250.00

स्थानान्तरण यात्रा सम्बन्धी व्यय को सीमिति रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियों/मा० मंत्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनो धनराशि उक्त मद पर देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है।

2—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1-1-1996 को शासनादेश संख्या *वे०आ०-1-297/दस-48* (एम)/88, दिनांक 21-5-96 के अनुसार देय मंहगाई भत्ता और शासनादेश संख्या–वे०आ०-1-2043/दस-93-39 (एम)/93, दिनांक 14-10-1993 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०-1–624/दस-39 (एम)/93 टी०सी०, दिनांक 16-8-1995 के अनुसार देय अन्तिरिम सहायता क्रमशः 100 रुपये प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह की द्वितीय किश्त का योग होगा।

3—यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जोकि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु० हलीम खां,
सचिव।

संख्या सा-4—395 (1)/दस-99–600-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, उ० प्र०, आडिट, प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7—वित्त (पदमाप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 32 सा० वित्त–17-6-99—(425)—15,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रेषक,

संख्या जी–2–854/दस–333/86

श्री सोमदत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 17 सितम्बर, 1988

विषयः––पदोन्नति पर मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।

–––––––

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

महोदय,

मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०–2240–दस–59 (एम) 1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2–4 के मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को किसी अन्य पद, जिसके कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उसके द्वारा धृत पद से संबंधित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों, पर नियुक्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप उसके वेतन निर्धारण की तिथि के संबंध में उसे निम्न प्रकार से विकल्प की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:––

(1) या तो संबंधित कर्मचारी का वेतन सीधे उसके विकल्प के आधार पर पदोन्नति/नियुक्ति के दिनांक को निम्नतर पद के वेतनमान में वेतन के सन्दर्भ से मूल नियम 22–बी के अनुसार निर्धारित कर दिया जाय और उस स्थिति में निम्नतर वेतनमान में उसको अगली वेतनवृद्धि के दिनांक को उपरोक्त नियम के अधीन उसका वेतन पुनर्निर्धारित नहीं किया जायगा अथवा,

(2) पदोन्नति पर प्रारम्भ में उसका वेतन मल नियम 22 (ए) (1) में निहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कर दिया जाय और तदोपरांत निम्नतर पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के दिनांक को मूल नियम 22–बी के उपबन्धों के अनुसार उसका वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(3) उपर्युक्त मद (2) की व्यवस्था के अधीन वेतन निर्धारण की दशा में संबंधित कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि दूसरी बार किये गये वेतन निर्धारण के दिनांक से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् अनुमन्य होगी।

(4) उक्त व्यवस्था के तहत संबंधित कर्मचारी द्वारा विकल्प पदोन्नति के दिनांक से एक माह के अन्दर दिया जायेगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

2––उक्त आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1988 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
सोमदत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

संख्या जी–2–854 (1)/दस–333/86, तद्दिनांक

–––––––

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः––

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश 1 व 2 इलाहाबाद एवं 3, लखनऊ।
(3) राज्यपाल सचिवालय।
(4) विधान परिषद्/सभा सचिवालय।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

आज्ञा से,
गणेशदत्त दीक्षित,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 103 सा० वित्त–24–9–88–(1521)–1988–11,000 (प्रो०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% *with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.*

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,

सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,

Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—1-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग--3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:--राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2--महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3--यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश-निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4--यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5--शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject--Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—4-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99

Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of *this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.*

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—1-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा०–3–29/दस–301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–3–17/दस–301–99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1–1–1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01–07–1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस–10 (3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.–3–29/X–301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.–3–17/X–301–99. Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)–81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 6 सा० वित्त—1-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Preseyation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—1-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 6 सा० वित्त—1-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Deparunent/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त–4-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99

लखनऊ : दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99

Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त– 4-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99
लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99
Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of *this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.*

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—4-4-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-29/दस-301/99

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-17/दस-301-99, दिनांक 19 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को था) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 19 जुलाई, 1999 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 1999 से महंगाई राहत की एक और किस्त 5% की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-1999 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दर बढ़कर 37% हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-29/X-301/99

Dated Lucknow, April 01, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners etc.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-17/X-301-99, Dated July 19, 1999 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of *this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 5% with effect from July 1, 1999 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated July 19, 1999 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief, of Pension/Family Pension w.e.f. 01.07.1999 has risen to 37%.*

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accounatant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

६---महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध मे अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० वित्त—14-2000—(35)—30,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या 2362/15-8-98/3004 (2)/98

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1998।

विषय :—अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित/समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की स्वीकृति।

महोदय,

शिक्षा (8) अनुभाग

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा-3-1722/दस-309-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को 1510 मूल्य सूचकांक के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्त लाभों के आगणन हेतु वेतन के साथ शामिल किये जाने का लाभ प्रदान किया गया है। तद्नुसार राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के दिनांक 1 जनवरी, 96 से पूर्व तथा दिनांक 1 जनवरी, 96 के उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों को जिन्होने नवीन पेंशन योजना लाभ का वरण किया है, को भी उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 1997 में दी गई सुविधा के दिनांक से तथा उसमें अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन महंगाई भत्ते के एक अंश को परिलब्धियों में शामिल किये जाने की सुविधा का लाभ दिये जाने की राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1 अक्टूबर, 1997 से नकद किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से दिनांक 30 सितम्बर, 1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किस्तों में होगा। प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 1999 तक किया जायेगा तथा द्वितीय किस्त का भुगतान दिनांक 31 जुलाई, 1999 तक किया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/3200/दस-98, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा।

———

संख्या 2362(1)/15-8-98/3004 (2)/98, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधितों को भी प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (मा0 शि0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5—समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

7—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

8—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11—समस्त सम्बन्धित बैंक, उत्तर प्रदेश ।

12—वित्त (ई-11) अनुभाग ।

13—वित्त (सा0-3) अनुभाग ।

14—शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।

15— गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 7 सा0 शिक्षा—30-11-98—(1755)—1998—1000 (मैक0) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा (8) अनुभाग

संख्या 2364/15-8—98/3004(2)-98

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 1998

कार्यालय ज्ञाप

विषय :—वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप प्रशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवा निवृत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के दिनांक 1-1-96 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबंध में निम्न आदेश प्रदान किए हैं।

2—इन आदेशों के अन्तर्गत--

(क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा "पारिवारिक पेंशनर" का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-95 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31-12-1995 को देय थी, से है।

(ग) "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य शासनादेश संख्या-6246/15-8-3004 (16) 79, दिनांक 31 मार्च, 1982 द्वारा अनुमन्य पारिवारिक पेंशन से है।

(घ) "वर्तमान महंगाई राहत" का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 1510 मूल्य सूचकांक के बराबर मिल रही राहत से है।

3-(1)-ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1-1-96 के पूर्व से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं का समेकन दिनांक 1-1-96 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा:—

(1)-वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(2)-वर्तमान महंगाई राहत जैसा कि महंगाई के 1510 मूल्य सूचकांक अर्थात 148 प्रतिशत; 111 प्रतिशत एवं 96 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, के बराबर स्वीकृत;

(3)-अन्तरिम राहत प्रथम किस्त,

(4)-अन्तरिम राहत द्वितीय किस्त,

(5)-वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1-1-96 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी। इस प्रकार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 4500/- एवं रु0 1250/- प्रतिमाह से बढ़ाकर राज्य सरकार के अधिकतम वेतन का 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत कर दी गई है। चूंकि उपरोक्तानुसार आगणित समेकित पेंशन में पेंशन का राशिकृत भाग सम्मिलित होगा, अत: पेंशन का मासिक नियमित भुगतान करते समय पेंशन के संबंधित राशिकृत भाग का पेंशन की धनराशि से घटा दिया जायेगा।

3—(2) ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31-3-85 और 31-12-85 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गई हो, के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होती रहेगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्तानुसार पेंशन का भाग माने जाने हेतु समेकित नहीं किया जायेगा।

3—(3) चूंकि उपरोक्त प्रस्तर 3 (1) में किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में महंगाई के 1510 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है, अत: 1-1-96 के उपरान्त 1510 औसत मूल्य सूचकांक के आगे महंगाई के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई नीति के अधीन अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किश्तें राजकीय

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पेंशनर को शासनादेश संख्या-सा-3-1206/दस-301/96, दिनांक 22-10-1996 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-111/दस-301/97, दिनांक 1-5-1997 से क्रमशः दिनांक 1-7-1996 से एवं 1-1-1997 से स्वीकृत की जा चुकी है, को इन पेंशनर्स के संबंध में समायोजित कर लिया जायेगा।

3—(क) शासनादेश संख्या-सा-3-जी0 आई0-21/दस-901/94, दिनांक 22-10-1996 के अधीन स्वीकृत अन्तरिम सहायता की तीसरी किश्त की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर-3 (1) के अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

4—सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों पर वर्तमान में मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पिक मंहगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर 3(1) के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से संबंधित मंहगाई राहत भी उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन के अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

5—पेंशन/परिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षित हेतु समस्त भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो पेंशन का भुगतान करते है एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। इन श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र/आदेश महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुविधा के लिए रेडी रेकनर नहीं होगी जो वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1721/दस-308/97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के द्वारा संलग्न किया गया है जिसमें प्रत्येक पेंशनर पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1-1-1996 से देय है, इंगित कर दी गई है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा है तो उनका पुनरीक्षण उपरोक्त प्रस्तर 3(1) एवं -5 में निर्धारित सीमा के अधीन किया जायेगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) के दोनों अर्धभागों (हाल्स) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी। उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महालेखाकार/मुख्य लेखाकारी को भी जैसी स्थिति हो, प्रारूप-11 (संलग्नक-11) पर दी जायेगी जिससे वे उसकी सूचना पेंशन पेमेन्ट आडिट रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी/महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गई उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

6—उपर्युक्त प्रस्तर-3 (1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/परिवारिक पेंशन दिनांक 1-1-1996 से मूल पेंशन मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त स्वीकृत मंहगाई राहत अनुमन्य होगी। मंहगाई राहत की पात्रता हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की निम्नलिखित श्रेणी होगी :—

(1) पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं,

(2) ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 की अवधि में परिवारिक पेंशन के हकदार हुये तथा जिन्हें मृत कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई।

7—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1-10-1997 के नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किस्तों में होगा। प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 31-3-99 तक किया जायेगा। किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1-1-96 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा।

8—ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-11/3200 दस-98, दिनांक 17-10-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से,

प्रदीप शुक्ल,

सचिव (माध्यमिक) शिक्षा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सेवा में,

1—शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संबंधितों को भी प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6—वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (मा0 शि0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7—समस्त मंडलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

8—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

9—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10—शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

11—वित्त (ई-11) अनुभाग।

12—गार्ड बुक।

13—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

आज्ञा से,
अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रारूप–II
(संलग्नक–दो)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय पेंशन विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अथवा

वित नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी (या अन्य पदनाम जिससे विभागीय मुख्य लखाधिकारी विभाग में जाने जाते हों)

अथवा

निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ० प्र०,
इन्दिरा भवन, आठवां तल, लखनऊ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा-3– /दस– दिनांक

के अनुदेशों के अनुपालन में पुनरीक्षित पेंशन की सूचना।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3– दिनांक के प्रस्तर–4.1 के अनुदेशों के अनुपालन में श्री/श्रीमती धारक पी० पी० ओ० एफ० पी० ओ० संख्या की पुनरीक्षित पेंशन का समेकन आपको सूचित किया जाता है, जो निम्नलिखित है :—

	रु०
1—वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन	
2—संगणक में दर्शायी गई समेकित/पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि	
3—कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–4.1 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन	
4—कुल योग	

भवदीय,

कोषाधिकारी
(अथवा अन्य पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी)

बी०एस०यू०पी०—ए० पी० 5 सा० शिक्षा—30-11-98-(1753)—1998—1000 (मेक०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (8) अनुभाग

पत्र संख्या 2363/15-8—98/3004 (2)-98

लखनऊ, 17 अक्टूबर; 1998

कार्यालय-ज्ञाप

विषय- –वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश दिनांक 1-1-1996 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण/समायोजन किया जायेगा।

2--प्रभावी होने की तिथि--

2 (1)--इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों/कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2 (2)--जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले में दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो; उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3 (1)--परिलब्धियां--

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवा निवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है और जिसे शिक्षक/कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3 (2)—"वेतन" से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 1997 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन से है।

3 (3)—सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4—पेंशन—

पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी परन्तु अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक 1-1-1996 से) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तद्नुसार राज्य सरकार की पेंशन की दर से सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था संशोधित समझी जायेगी।

5—सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी—

58 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 3.50 लाख (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

6—पारिवारिक पेंशन—

6 (1)—पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से सम्बन्धित व्यवस्था दिनांक 1-1-1996 से तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6 (2)—पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा निम्नलिखित होगी :—

(क)–दिनांक 1-1-1996 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित :—

(1)- पत्नी/पति

(2)–मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि तक अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3)–मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाय, अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा सम्बन्धित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1-1-1996 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय शिक्षक/कर्मचारी के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा। पूर्णतया आश्रित होने एवं जीविकोपार्जन से सम्बन्धित मासिक आय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जायेगा। शेष व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेंगी।

7—पेंशन के एक भाग का राशिकरण-

7—(1) -ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, को अधिकतम पेंशन का 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7—(2) -ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, को अधिकतम पेंशन का 20 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

8—जिन शिक्षकों/कर्मचारियों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उनको सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :—

(क)–जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किश्त, जो 1-1-1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि में वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की धनराशि।

9—दिनांक 1-1-1996 एवं 31-12-1997 के मध्य सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था—

ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो दिनांक 1-1-1996 और 31-12-1997 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, को यह विकल्प होगा कि वे अपने पुराने वेतनमान को बनाये रखें एवं पुराने वेतनमान में ही पेंशन एवं डेथ-कम-रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी के निर्धारण कराने का विकल्प दें, ऐसे प्रकरणों में पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायगा :—

(1)—ग्रेच्युटी की गणना हेतु परिलब्धियों से आशय उस "वेतन" से होगा जैसा कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है तथा इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1436 अंक के बराबर महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता के प्रथम तथा द्वितीय किस्त की धनराशि सम्मिलित होगी।

(2) पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी इस प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 1510 अंक के बराबर महंगाई राहत जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार जो धनराशि आगणित होगी वही पेंशन की धनराशि होगी।

(3)—मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना उपरोक्त प्रस्तर-9 (1) में उल्लिखित परिलब्धि के सन्दर्भ में अनुमन्य होगी।

(4) पेंशन के एक भाग का राशिकरण इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन ही किया जायेगा।

(5) पारिवारिक पेंशन की गणना इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन की जायेगी। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन पर मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य दर के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

समान मंहगाई राहत को जोड़ दिया जायेगा और उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पारिवारिक पेंशन होगी।

10—ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो पुराने वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प देते हैं और उनकी मृत्यु सेवारत दशा में दिनांक 31-12-1997 के उपरान्त हो गयी है, की पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन, जैसी भी स्थिति हो, की गणना उपरोक्त प्रस्तर-4 से 7 में निहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। इस श्रेणी के प्रकरणों में "परिलब्धियों" की गणना हेतु पुनरीक्षण से पूर्व के मूल वेतन मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य मंहगाई राहत की धनराशि तथा अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त की धनराशि सम्मिलित की जायेगी।

11—पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

12—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1-10-1997 से नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में होगा। प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 31-3-1999 तक किया जायेगा तथा द्वितीय किस्त का भुगतान दिनांक 31-7-1999 तक किया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें, स्वर्गीय शिक्षक/कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा।

13—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/3200/दस-98, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

प्रदीप शुक्ल,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

पत्र संख्या 2363(1)/15-8--98/3004 (2)-98, तद्दिनांक

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), उ0 प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करते हुए समस्त सम्बन्धितों को भी प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

(4) वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, (माध्यमिक शिक्षा), उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(5) समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0।

(6) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका, उ0 प्र0।

(7) महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(8) निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, लखनऊ।

(9) निदेशक, पेंशन, उ0 प्र0, लखनऊ।

(10) सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।

(11) समस्त सम्बन्धित बैंक, उ0 प्र0।

(12) वित्त (ई-11) अनुभाग।

(13) वित्त (सा0-3) अनुभाग।

(14) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 6 शा0 शिक्षा—30-11-98 (1754)—1998—1,000 (मेक0)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा-3-1062/दस-308/97

लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :-वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में 1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों के अनुसरण में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है कि 1986 से पूर्व के ऐसे सभी पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन नियम, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश सिविल असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी पेंशनरों को छोड़कर) नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 एवं उसके क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या सा--3-969/दस-923/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 एवं नीचे उल्लिखित श्रेणी की पेंशन के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन ले रहे थे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में 1 जनवरी, 1996 से आगे के प्रस्तरों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जाएगा :

(1) सेवानिवृत्ति पेंशन

(2) अधिवर्षता पेंशन

(3) प्रतिपूर्ति पेंशन

(4) अशक्तता पेंशन

2—राज्य सरकार के वर्तमान नियमों में निहित उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत जारी सरकारी आदेशों के अनुसरण में, फिलहाल 1986 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्व के अन्तिम 10 महीने के दौरान, उनके द्वारा आहरित औसत परिलब्धियों पर आधारित है और इसी प्रकार कुटुम्ब पेंशन दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के द्वारा आहरित अन्तिम वेतन पर आधारित है। सरकार ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों को अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय तक स्वीकार कर लिया है कि 1986 से पूर्व के सभी सेवानिवृत्त की पेंशन, सेवारत कर्मचारियों के संबंध में अपनाए जाने वाले फार्मूले से ही, 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार, उनके वेतन को सैद्धान्तिक आधार पर निर्धारित करके अद्यतन की जाए और तत्पश्चात् 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार उनकी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन के प्रयोजनार्थ, उनको 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति के समान समझा जाए। तद्नुसार 1 जनवरी, 1986 से पूर्व के सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन ले रहे थे, तथा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व दिवंगत राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में जो 1 जनवरी, 1986 को कुटुम्ब पेंशन ले रहे थे, इन सभी का वेतन, सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने की तारीख को उनके द्वारा धारित पद अथवा उत्तरोत्तर वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में संशोधित वेतनमानों के लागू होने के परिणामस्वरूप या विवाचन बोर्ड के निर्णय अथवा न्यायालय के अधिनिर्णय अथवा पद इत्यादि के लिए वेतनमानों में सामान्य संशोधन होने के कारण, संशोधित वेतनमान में सैद्धान्तिक आधार पर नियत होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन के अवसरों की संख्या भिन्न होगी और 50 तथा 60 के दशक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में अनेक अवसरों पर संशोधन अपेक्षित होगा। पहले अवसर पर सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन के ऐसे सभी मामलों में, दूसरे अवसर पर संशोधित वेतनमान में वेतन का पुनः नियतन करने हेतु परिलब्धियों के प्रयोजनार्थ वेतन समझा जाएगा तथा इस सैद्धान्तिक वेतन पर आधारित अन्य घटकों अर्थात् महंगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता/ अंतरिम राहत इत्यादि को हिसाब में लिया जाएगा। इसी तरीके से परवर्ती अवसरों पर सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन किया जाएगा। शासनादेश संख्या वे-आ०-1-1763/दस-39-(एम)/89, दिनांक 3 जून, 1989 की प्रति संलग्न अनुलग्नक IV पर है। अन्तिम बार उ०प्र० वेतन समता समिति, 1986 के द्वारा दिये गये वेतनमानों के आधार पर वेतन का नियतन 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होगा। इस प्रकार हर बार सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन करते समय, सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन नियतन फार्मूला तथा इस संबंध में, समय-समय पर लागू अन्य संगत अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। तथापि संगत समय पर लागू नियम तथा अनुदेशों के अनुसरण में अनुज्ञेय किसी सैद्धान्तिक वेतनवृद्धि के लाभ को, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन पुनः

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नियतन के किसी भी मामले में न बढ़ाया जाए। इस प्रकार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार प्राप्त सैद्धान्तिक वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ, औसत परिलब्धियां माना जाएगा और तद्नुसार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन की गणना निर्धारित पेंशन फार्मूले के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार परिकलित पेंशन, कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के पैरा 4.1 में निहित उपबन्धों के अनुसार 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार समेकित की जाएगी और भविष्य में महंगाई राहत देने के प्रयोजनार्थ मूल पेंशन मानी जायेगी।

3—कुटुम्ब पेंशन के मामले में 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार सैद्धान्तिक वेतन, दिवंगत सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनर द्वारा आहरित अंतिम वेतन समझा जाएगा और कुटुम्ब पेंशन की गणना 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार उस पर लागू दरों के अनुसार की जाएगी। दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार इस कुटुम्ब पेंशन का समेकन, कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 में निहित उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

4—मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सभी मामलों में 1 जनवरी, 1996 से कुटुम्ब पेंशन की गणना, स्लैब प्रणाली की बजाए, मूल वेतन के 30% की एक समान दर पर की जाएगी और बशर्ते कि न्यूनतम 1275 रु० तथा अधिकतम सरकारी शीर्षस्थ वेतन के 30% तक होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1986 से लागू कुटुम्ब पेंशन की वृद्धि दर प्रसुविधा को उसी तारीख से 1996 से पूर्व के कुटुम्ब पेंशनभोगियों तक बढ़ा दिया जाए। तद्नुसार 1986 से पूर्व के उन पेंशनरों के मामले में, जिनकी कुटुम्ब पेंशन की गणना, स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत कर ली गई है उनकी पेंशन की पुनः गणना 1 जनवरी, 1986 को यथा निर्धारित सैद्धान्तिक वेतन के 30% की दर पर की जाएगी। स्लैब प्रणाली तथा 30% की दर पर अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के बीच के अन्तर के कारण देय अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन को, उपर्युक्त पैरा-3 के उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त समेकित कुटुम्ब पेंशन में जोड़ दिया जायेगा। दोनों राशियों का योग अर्थात्, समेकित पेंशन जमा कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1996 से मूल कुटुम्ब पेंशन होगी, जो न्यूनतम 1275 रु० तथा अधिकतम 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकारी शीर्षस्थ वेतन का 30% इस शर्त के अधीन होगी। उस पर 1 जनवरी, 1996 के बाद समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में महंगाई राहत अनुज्ञेय होगी। कुटुम्ब पेंशन की उपर्युक्त निर्धारित तरीके से गणना करने के कुछेक उदाहरण इस का० ज्ञा० के अनुलग्नक-I पर दिए हुए हैं।

5—1986 से पूर्व के मौजूदा उन पेंशन भोगियों के मामले में जिनकी कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जैसा कि पेंशनर जीवित हैं/थे, प्रारम्भ नहीं की गई है, 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार सैद्धान्तिक वेतन के आधार पर उनकी पेंशन को अद्यतन करते समय, कुटुम्ब पेंशन को जहां आवश्यक हो, इन आदेशों तथा उनके पेंशन भुगतान आदेश के अनुसार, पेंशन मंजूरीदाता प्राधिकारी के द्वारा, संशोधित, समेकित तथा अद्यतन किया जाएगा। ऐसे मामले में जब कुटुम्ब पेंशन देय हो जाती है, तो कुटुम्ब पेंशन की दरें लागू होगी।

6—वेतन के सैद्धान्तिक नियतन पर पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन के कारण 1 जनवरी, 1996 से पूर्व की अवधि का कोई बकाया अनुज्ञेय नहीं होगा।

7—इस संशोधन के कारण अनुमन्य पेंशन की अतिरिक्त राशि पर किसी भी प्रकार का संराशीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा। यदि कोई संराशीकृत पेंशन का भाग अभी रहता है तो मासिक संवितरण करते समय समेकित पेंशन में से, उसकी कटौती जारी रखी जाएगी।

8—1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार वेतन का सैद्धान्तिक नियतन मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की पूर्व निर्धारित पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा तथा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पर लागू नियमानुसार देय होगा।

9—कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या सा-3-984/दस-98-308/97, दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर 9.2 में निर्गत व्यवस्था तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 97 के प्रस्तर 4.2 में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन के कारण अथवा 1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों के मामले में अन्तरिम साधन के रूप में व्यक्तिगत पेंशन देने के अनुक्रम में पूर्व देय बकाया राशि को सम्बन्धित कोषाधिकारियों के द्वारा इस आदेश के आधार पर, पेंशन कुटुम्ब पेंशन में संशोधन होने के कारण देय बकाया राशि पर समायोजित किया जाएगा।

10—कार्यालय, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति या अपनी मृत्यु से ठीक पहले कार्यरत था, उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) की यह जिम्मेदारी होगी कि वे 1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1986 से इन आदेशों के आधार पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से संशोधित कराके संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकार-पत्र जारी कराये जिससे सम्बन्धित कोषागार/बैंक उसका भुगतान कर सके।

11—1986 से पूर्व के प्रत्येक पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर जो 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अपनी पेंशन संशोधन के लिए, अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) को, जैसी भी स्थिति हो, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर अनुबंध-II पर दिए हुए निर्धारित प्रपत्र (2 प्रतियों) में आवेदन

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

करना अनिवार्य है। इस निर्धारित अवधि के अन्दर, आवेदन नहीं करने की स्थिति में यह समझ लिया जाएगा कि वे अपनी मौजूदा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को जारी रखना चाहते हैं। तथापि पेंशन संशोधन के लिए आवेदन देने में हुए किसी भी विलम्ब को, केवल शासन के वित्त विभाग के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है। यह पेंशनर के हित में है कि वे अपने पास उपलब्ध सम्पूर्ण ब्योरों को दें, ताकि उसके द्वारा किए गए आवेदन के द्वारा सैद्धान्तिक आधार पर उसके वेतन नियतन का कार्य सुगमता से किया जा सके।

12—ऐसे मामलों में जहां पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जीवित था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसके कानूनी उत्तराधिकारी से पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर की मृत्यु होने की तारीख तक, 1 जनवरी, 1996 से जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त करने के भी हकदार हैं। कानूनी उत्तराधिकारी इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी), को आवेदन करें।

13—पेंशन कार्यालय अथवा विभाग इत्यादि, जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति अथवा अपनी मृत्यु के ठीक पहले कार्यरत था, पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को, उनसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर, आवेदन प्राप्त होने की पावती भेजेंगे। यह कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष(स्वीकर्ताधिकारी), जैसी भी स्थिति हो, की जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित प्राधिकारियों को जोर देकर कहें कि प्रत्येक मामले में, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन तत्काल किया जाए, जिससे कि पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों से आवेदन मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर संशोधित प्राधिकार-पत्र जारी करना सुनिश्चित हो सके। तथापि, किसी भी मामले में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) संशोधित प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु, पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को अपना मूल पेंशन भुगतान आदेश वापस करने के लिए नहीं कहेगा अथवा दावे के समर्थन हेतु, किसी भी दस्तावेज के लिए परेशान नहीं करेगा। संशोधित प्राधिकार-पत्र मौजूदा पेंशन भुगतान आदेश संख्या के अन्तर्गत ही जारी किया जाएगा तथा पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास उसी प्रकार पहुंचेगा जैसे मूल पेंशन भुगतान आदेश पहुंचा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी इस प्राधिकार-पत्र को पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों पर चिपका देगा। विभाग/कार्यालय के अन्य विभाग में समापन/संविलयन होने के मामले में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पेंशन संशोधन करने का कार्य, संविलयित हुए मूल विभाग अथवा समाप्त विभाग/कार्यालय के रिकार्ड रख रहे कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

14—ऐसे भी मामले हैं, जहां कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष(स्वीकर्ताधिकारी) के लिए वेतनमानों में समय-समय पर संशोधन होने तथा कुछ वेतनमानों का विशेष समयावधि के बाद निष्क्रिय हो जाने के कारण, पूर्व संशोधित वेतनमानों के तदनुरूप संशोधित वेतनमानों को निर्धारित करना कठिन होगा। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष(स्वीकर्ताधिकारी), समाकलित वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद पूर्व संशोधित वेतनमान के समान संशोधित वेतनमान के बारे में निर्णय लेगा। तथापि ऐसे मामले जिनमें इस बारे में निर्णय लेने में कठिनाई हो, विभागाध्यक्ष वित्त वेतन आयोग एवं कार्मिक विभाग से परामर्श करने के बाद अन्तिम निर्णय ले सकता है।

15—पूर्ववर्ती पैराग्राफ में समय-समय पर यथानिर्दिष्ट सैद्धान्तिक आधार पर वेतन संशोधन हेतु विगत अवधियों के पुराने रिकार्डों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों का कई बार पुनर्गठन होने की स्थिति में यह सम्भावना है कि बहुत से कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड तत्काल उपलब्ध न हों। यह भी सम्भावना है कि रिकार्ड रखने की तय अवधि के समाप्त होने के कारण सेवा रिकार्ड नष्ट कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों से कहा जाए कि वे अपने पास उपलब्ध सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय पर सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित पद का वेतनमान (केवल पेंशनरों के मामले में), उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा इत्यादि संगत रिकार्डों के आदेशों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें। तथापि ऐसे मामलों में पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों के द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्डों की यथातथ्यता के सत्यापन का दायित्व प्रशासनिक प्राधिकारियों पर होगा। 1972 से पूर्व सेवानिवृत्त कुछेक मामलों में यदि विभागाध्यक्ष संतुष्ट हो तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र दे दें कि संबंधित पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर से सम्पर्क सहित विभाग के द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद इस विशेष मामले में संगत रिकार्डों के उपलब्ध न होने के कारण सैद्धान्तिक आधार पर वेतन संशोधन सम्भव नहीं हो पाया है, तो 1972 से पूर्व के पेंशनर/दिवंगत सरकारी कर्मचारी का वेतन 1 अगस्त, 1972 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर तत्काल निधारित कर दिया जाए।

16—सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के द्वारा स्थापना में कार्यग्रहण की तारीख से पेंशन देय हो जाती हैं। इस प्रकार सेवावधि की गणना, सरकारी सेवा ग्रहण करने की तारीख से लेकर सेवानिवृत्त होने की तारीख तक के अन्य सभी उपलब्ध संगत रिकार्डों को हिसाब में लेकर भी की जा सकती है।

17—सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध प्रयास किये जाएं कि 1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों को उनके वेतन/पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के पुनः नियतन के संबंध में कोई कठिनाई या परेशानी न हो। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वे पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरण को महालेखाकार कार्यालय सहित प्रत्येक स्तर से प्राथमिकता पर निस्तारित कराएं। सम्बन्धित पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर को दौड़ भाग न करनी पड़े।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

18—1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों से प्राप्त आवेदनों पर पेंशन संवितरण प्राधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा वेतन संशोधन तथा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की पुनः संगणना हेतु की जाने वाली कार्यवाही संबंधी विस्तृत प्रक्रिया/मार्गदर्शी सिद्धान्त इस का० ज्ञा० के अनुलग्नक-III पर दिए हुए हैं।

19—राज्य सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्हें स्थाई तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में संविलय किया जा चुका है, के मामलों की निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा।

(क) पेंशन–

जहां सरकारी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर से संविलयित होने पर सरकार से अलग से पेंशन लेते आ रहे हों, वहां ऐसे संविलयित कर्मचारियों का पेंशन इन आदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो अपनी पेंशन के 100% के बराबर एक बार में सेवान्त प्रसुविधाएं प्राप्त कर चुके हों और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर, 1995 के अधिनिर्णय के अनुसार पेंशन के संराशीकृत एक तिहाई भाग की बहाली के हकदार हों, इन आदेशों के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

(ख) कुटुम्ब पेंशन–

जिन मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर से संविलयित होने पर संविलयन की शर्तें, आमेलन नियमावली, 1984 के अधीन कुटुम्ब पेंशन दी जा रही हो उनमें भी कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दी जा रही पेंशन आदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी।

मु० हलीम खाँ,
सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०,

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(4) महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।

संख्या सा–3-1062(1)/दस-308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग	प्रत्येक को एक प्रति
2—सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ	प्रत्येक को 5 प्रतियां
3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ	5 ,,
4—निदेशक पेंशन, उ० प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ	5 ,,
5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई—400023	60 ,,
6—सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को प्रचारार्थ	5 ,,
7—उपसचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ	5 ,,
8—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, शिक्षा विभाग, उद्योग निदेशालय, राजस्व परिषद्।	5 ,,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ० प्र०, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र०, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उ० प्र०, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उ० प्र०, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र०, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर–प्रत्येक को 5 प्रतियां।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–1062 (II)/दस-308-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय, हलवासिया कोर्ट, लखनऊ — 3000 प्रतियां

2—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एल० आई० सी०, इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, 45, हजरतगंज, लखनऊ — 1350 प्रतियां

3—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ — 500 प्रतियां

4—जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ — 400 प्रतियां

5—जोनल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया, 1, नवल किशोर रोड, लखनऊ — 50 प्रतियां

6—रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ (70), फूलबाग क्रासिंग, माल रोड, कानपुर (70), 35, आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर (45), विभवनगर, सिकन्दराबाद रोड, आगरा (40), 18, न्यू रोड, देहरादून (75), मेरठ 'ए' एवं मेरठ 'बी' इस्टर्न कचहरी रोड (60–70) प्रतियां — कुल 450 प्रतियां

7—रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एच 1/117/240, पांडुनगर, कानपुर (60), कृष्णा विलासमहुआ बाग, गाजीपुर, टी० डी० कालेज के सामने, जौनपुर (60), रथयात्रा क्रासिंग, वाराणसी (60), गोयल भवन, पांडे बाजार, आज़मगढ़, 1940 यू० पी० आर० एस० टी० के सामने, मेरठ (60) — कुल 240 प्रतियां

8—रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, 4-बी, हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ — 100 प्रतियां

9—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, पटेल नगर, नई दिल्ली — 30 प्रतियां

10—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ — 110 प्रतियां

11—डिवीजनल मैनेजर, केनारा बैंक, 71, नेहरू नगर, एम० जी० रोड, आगरा–2 — 50 प्रतियां

12—डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक, 6, भगवान दास मार्ग, सरोजनी भवन, नई दिल्ली — 125 प्रतियां

13—रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ज्योडोर हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — 35 प्रतियां

14—जोनल मैनेजर, इंडियन बैंक, 1–ई, झंडेवाला प्रसारनाज के पास, दिल्ली–110055 — 35 प्रतियां

15—असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/44, डब्लू० ई० ए० आजमखान रोड, करोलबाग, नई दिल्ली — 50 प्रतियां

16—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहांगीराबाद मेंसन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001 — 50 प्रतियां

17—डिवीजनल मैनेजर, केनारा बैंक, प्रतिभा थिएटर के पास, लखनऊ — 50 प्रतियां

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

No. G-3-1062 (III)/दस-308-97

Copies forwarded for information and necessary action to :—

		Copies
1.	The A. G.-I, U.P., Allahabad	10
2.	The A. G. (Accounts)-II, U.P., Allahabad	150
3.	The Accountant-General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad-500476	35
4.	The Accountant-General, Assam, Shillong-793001	25
5.	The Accountant-General, Meghalaya (MEGHALAYA), Arunachal Pradesh and Mizoram, Shillong-793001	15
6.	The Accountant-General-I, Bihar, P.O. Hindo, Ranchi-834002	50
7.	Bisoomaun Bhawan, West Gandhi Maidan, Patna-800001	15
8.	The Accountant-General-I, Gujarat, Ahmedabad-380001	50
9.	The Accountant-General, Haryana, S.C.O. nos. 1967-9/8, Sector 71-C, Chandigarh-160017	70
10.	The Accountant-General, Himanchal Pradesh and Chandigarh, Simla-171003	80
11.	The Accountant-General, Jammu and Kashmir, State Secretariat, Srinagar-190001	50
12.	The Accountant-General-II, Karnataka, Bangalore-560001	20
13.	The Accountant-General-I, Kerala, Trivendrum-695001	130
14.	The Accountant-General-I, Madhya Pradesh, Jhansi Road, Gwalior-777002	300
15.	The Accountant-General-I, Maharashtra, 101, Maharshi Karve Road, Bombay-700020	300
16.	The Accoutant-General-I, Maharashtra, West High Court Road, Nagpur-440001	30
17.	The Accountant-General, Manipur, Imphal-795001	25
18.	The Accountant-General, Nagaland, Kohima-797707	50
19.	The Accountant-General, Orissa, Bhubaneshwar-751001	120
20.	The Accountant-General, Punjab, Sector-17, Chandigarh-160017	100
21.	The Accountant-General, Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur-302005	250
22.	The Accountant-General, Tamil Nadu, 61, Annasalai Teynampet, Madras-600018	50
23.	The Accountant-General, Tripura, Agartala-799001	30
24.	The Accountant-General, West Bengal Treasury, Building no. 2, Government Place, West Calcutta-700001	5
25.	The Accountant-General, Sikkim Lower Secretariat, Building no. 2, Gangtok-737101	10
26.	The Pay and Accounts Officer, Pondicherry	10
27.	The Director of Accounts Goa, Damman and Diu, Fazenda Panaji, Goa-403001	15
28.	The Principal Account Officer, Delhi Administration, Vikas Bhawan, II Floor, New Delhi	15
29.	The Principal Account Officer, Office of the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Room no. 134—141, Government of India, B-1, Hutments, Behind South Block, New Delhi.	1

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुलग्नक—I

उदाहरण

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस–308-97
दिनांक 24-8-98 के प्रस्तर-4 के संदर्भ में।

	सं० 1	सं० 2	सं० 3
1—सेवानिवृत्ति की तारीख	30-1-1985	30-6-1976	31-12-1980
2—सेवानिवृत्ति के समय पर वेतनमान	1200–1600	1500–2000	500–900
3—आहरित अंतिम वेतन	1200	2000	500
4—1-1-1986 को सैद्धांतिक आधार पर वेतन नियतन	3100 (3000-4500 रु० के वेतनमान में)	4575 (3700-5000 रु० के वेतनमान में)	1640 (1640-2900 रु० के वेतनमान में)
5—उपर्युक्त (4) में सैद्धांतिक वेतन की तारीख को लागू दरों पर 1-1-1986 को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन	*600*	*687*	*450*
6—कार्यालय ज्ञाप सं० सा-3-1721/दस–308-97, दिनांक 23-12-97 के अनुसरण में उपर्युक्त (V) में 1-1-1996 को अनुज्ञेय समेकित कुटुम्ब पेंशन	*1838*	*2098*	*1396*
7—उपर्युक्त (4) में सैद्धांतिक आधार पर 30% की दर से वेतन नियतन पर 1-1-1996 को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन	*930*	*1373*	*492*
8—1-1-1996 को (स्तम्भ-7, स्तम्भ-5) अनुज्ञेय अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन	930–600 330	1373–687 686	492–450 42
9—1-1-1996 को (स्तम्भ-6, स्तम्भ-8) अनुज्ञेय कुल कुटुम्ब पेंशन	1838 + 330 2168	2098 + 686 2784	1396 + 42 1438

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुलग्नक—II

कार्यालय ज्ञाप सं० सा-3-1062/दस–308/97 दिनांक 24-8-1998 के प्रस्तर-11 में यथा संदर्भित आवेदन प्रपत्र का प्रारूप।

आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

____

____

____

____

कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी)

विषय :—कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस–308-97, दिनांक 24-8-1998 के अनुसरण में 1-1-1996 की स्थिति के अनुसार 1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों /कुटुम्ब पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन /कुटुम्ब पेंशन का संशोधन।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस–308-97, दिनांक 24-8-1998 के अनुसरण में मेरे पेंशन भुगतान आदेश (फोटो प्रति संलग्न) में दर्शायी पात्रतानुसार मेरी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को संशोधित करने की कृपा करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :–

1—आवेदक का नाम तथा पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)

2—अनुमन्य पेंशन का नाम

*3—कुटुम्ब पेंशन के मामले में दिवंगत कर्मचारी /पेंशनभोगी का नाम

4—सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति /मृत्यु की तारीख

5—तारीख जिससे पेंशन /कुटुम्ब पेंशन आहरित की जा रही हो

6—पेंशन भुगतान आदेश संख्या

7—पेंशनभोगी /दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय /विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पदनाम

8—अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन

9—पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का नाम अर्थात् पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला प्राधिकरण

10—यदि कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेंशनर/दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के द्वारा धारित अन्तिम पद के संशोधित वेतनमान के अनुसार अर्हक सेवा की गणना की सुविधा हेतु संलग्न किया जा रहा है तो उसका ब्यौरा

दिनांक ....

____

____

____

____

(पेंशनभोगी / कुटुम्ब पेंशनभोगी के)
हस्ताक्षर

2, 3, 5 तथा 6 ब्यौरे सत्यापित
हस्ताक्षर
पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी की रबर मुहर सहित

* केवल कुटुम्ब पेंशनभोगियों के मामले में लागू।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुलग्नक III

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु दिशा निर्देश :–

1—पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के लिए

(क) कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (पेंशन स्वीकर्ताधिकारी) ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 को पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, से निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की रसीद प्रार्थी को अवश्य देंगे।

(ख) प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विवरण जैसे प्रार्थी का नाम, पेंशन की श्रेणी, पेंशन भुगतानादेश संख्या एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तिथि को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी प्रमाणित करेंगे।

(ग) उपरोक्त प्रमाणित प्रार्थना-पत्र की एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को तत्काल अथवा विलम्बतम् प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर भेज दी जाएगी।

(घ) यह संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (पेंशन स्वीकर्ताधिकारी) की जिम्मेदारी होगी कि वह महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति 90 दिन के भीतर पुनरीक्षित पी०पी०ओ० निर्गत करा लें।

(ङ) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष) किसी भी दशा में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से पुनरीक्षित पी०पी०ओ० निर्गत करने हेतु उसका मूल पी०पी०ओ० नहीं मागेंगे। पुनरीक्षित भुगतानादेश उसके वर्तमान भुगतानादेश संख्या के अधीन ही निर्गत होगा तथा पेंशन भुगतानाधिकारी को उसी प्रकार प्रेषित होगा जैसे कि प्रथम बार प्रेषित किया गया था। पेंशन भुगतान करने वाला प्राधिकारी उक्त पुनरीक्षित पी०पी०ओ० को पी०पी०ओ० के दोनों मांगों के साथ चस्पा कर लेंगे।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हेतु

दिनांक 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक प्रकरण में निम्नलिखित विवरण प्राप्त किए जाएंगे :–

(1) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति का दिनांक।

(2) पद, सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख को कर्मचारी के पद का वेतनमान एवं वेतन।

(3) पेंशनर/दिवंगत कर्मचारी को स्वीकृत पारिवारिक पेंशनर की स्वीकृति की दिनांक से 1 जनवरी, 1986 के मध्य कितनी बार पुनरीक्षित की गई। ऐसे पुनरीक्षण विभिन्न वेतन आयोगों/वेतन समितियों/न्यायालय के निर्णय अथवा विवेचन बोर्ड के अभिनिर्णय के आधार पर किया गया होगा।

(4) प्रत्येक अवसर पर पूर्व निर्धारित वेतनमान का कारेस्पान्डिंग वेतनमान।

(5) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का तत्कालीन लागू सिद्धान्त।

उसके उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में 1986 के पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का वेतन निर्धारण सैद्धान्तिक आधार पर किया जाएगा इसका आशय यह है कि प्रथम बार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण अन्तिम आहरित वेतन पर इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी वही वेतन प्राप्त कर रहा था। दूसरी बार पुनरीक्षित वेतनमान में सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण यह मानकर किया जाएगा जैसे कि अन्तिम बार निर्धारित वेतन संबंधित कर्मचारी ने पूरी सेवा अवधि में आहरित किया है।

इसी प्रक्रिया के अनुसार उसका वेतन निर्धारण तब तक किया जाएगा जब तक कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 को सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण उत्तर प्रदेश वेतन समता समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने पर निर्गत शासनादेश संख्या वे० आ०–1-1763/दस–39 (एम)-89, दिनांक 3 जून, 1989 (संलग्नक–4) के अधीन नहीं कर लिया जाता है। सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण के प्रकरणों में संबंधित कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त कोई भी वेतन-वृद्धि नहीं दी जाएगी। उपरोक्त प्रकार से दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित वेतन को पेंशन गणना हेतु औसत वेतन माना जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पेंशन निर्धारण उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसरण में किया जाएगा परन्तु पेंशन

गणना का सिद्धान्त पूर्ववत् रहेगा। जैसे 33 वर्ष की सेवा के 50% के औसत अथवा उससे कम सेवा अवधि पर उसके अनुपात में पेंशन निर्धारण किया जाएगा। परन्तु 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। इस प्रकार से आगणित पेंशन की धनराशि रुपया 375 प्रतिमाह से कम एवं रुपया 4500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। उसी प्रकार से पारिवारिक पेंशन की भी गणना की जाएगी अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित वेतन पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 को लागू नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का निर्धारण होगा। उपरोक्त प्रकार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के उपरान्त दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी :–

(I) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को सैद्धान्तिक आधार पर आगणित वेतन के आधार पर 1 जनवरी, 1996 को निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

(II) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 अर्थात् मूल पेंशन के 148%, 111% एवं 96% पर निर्धारित महंगाई राहत।

(III) अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किश्त।

(IV) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40% जोड़कर।

उपरोक्त प्रकार से समेकित पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 1996 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जाएगी। इस निर्धारण में न्यूनतम/अधिकतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सीमा राज्य सरकार के नियमों के अधीन प्रभावी रहेगी। चूंकि उपरोक्त समेकित पेंशन की धनराशि में औसत मूल्य सूचकांक का 1510 अंक का महंगाई राहत सम्मिलित है, अतएव यदि उक्त अंक के उपरान्त बढ़ोत्तरी के आधार पर महंगाई राहत स्वीकृत की जाती है तो वह इन्हें अनुमन्य होगी। पेंशन के एक भाग का राशिकरण, यदि कराया गया हैं तो उसकी कटौती पूर्ववत् होती रहेगी।

पारिवारिक पेंशन के जिन प्रकरणों में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण के आधार पर पारिवारिक पेंशन की गणना 30% से कम की दर पर आगणित की गई है उसे दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनः 30% की दर पर आगणित किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1986 से स्लैब पद्धति पर निर्धारित पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 को 30% की दर पर निर्धारित पारिवारिक पेंशन के अन्तर की धनराशि को उपरोक्त व्यवस्था के अधीन समेकन हेतु जोड़ लिया जाएगा। समेकित पेंशन तथा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के योग को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से मूल पारिवारिक पेंशन माना जाएगा। इसकी न्यूनतम धनराशि रुपया 1275 एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार में प्रभावी अधिकतम वेतनमान के 30% से अधिक नहीं होगी तथा उस धनराशि पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

पेंशनरों के लिए

यह पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी के हित में है कि पेंशन पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र में सभी अपेक्षित सूचना देने का कष्ट करें। वे अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को यथा-सम्भव सहयोग प्रदान करके अपनी पेंशन/वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षण कराने का कष्ट करें।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुलग्नक IV

संख्या वे०आ०-1-1763/दस-39 (एम)-89

प्रेषक,

डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 3 जून, 1989

विषय :-पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

मुझे समता समिति, उत्तर प्रदेश (1989) के प्रतिवेदन पर शासकीय संकल्प संख्या-वे० आ०-1-1739/दस-89-41 (एम)-89, दिनांक 19 मई, 1989 के प्रस्तर-6, जो पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित है, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या 1 जनवरी, 1986 तथा 31 मार्च, 1989 के मध्य राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद और स्थानापन्न पद पर अलग-अलग उसकी *"वर्तमान परिलब्धियों" (जिसकी परिभाषा नीचे दी गयी है)* के आधार पर निम्नलिखित आदेशों के अनुसार उसके विकल्प के आधार पर निश्चित किया जायेगा :-

"वर्तमान परिलब्धियों" की परिभाषा

2—(क) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां", दिनांक 1-1-1986 को, निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :—

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 1-1-1986 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर जैसी भी स्थिति हो।

(2) दिनांक 1-1-1986 को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(3) दिनांक 1-1-1986 को वर्तमान वेतनमान में आहरित वेतन के ऊपर एक वेतन-वृद्धि की धनराशि।

(4) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन तथा उप प्रस्तर (3) के अनुसार एक काल्पनिक वेतन-वृद्धि की धनराशि के योग का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700 होगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प दिनांक 1-1-1986 के बाद अपनी वेतन-वृद्धि के दिनांक से लेते हैं, उनकी वर्तमान परिलब्धियां निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी—

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में विकल्प की तिथि को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो।

(2) विकल्प की तिथि को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(3) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700 होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां पूर्व से मिल रहे विशेष वेतन को समाप्त कर उसके स्थान पर उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया हो, उपरोक्त प्रस्तर 2(क) और 2(ख) के अन्तर्गत वर्तमान परिलब्धियों की गणना में, मिल रहे विशेष वेतन की धनराशि को उपर्युक्त उप प्रस्तर 2(क) (1) तथा 2(ख)(1) के अनुसार मूल वेतन के साथ सम्मिलित करते हुए, उस पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता को जोड़कर किया जायेगा।

(घ) "वर्तमान परिलब्धियों" की परिगणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :—

(1) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9 (25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर 2 (ग) से आवृत्त विशेष वेतन से भिन्न हो।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता/वेतन।

(4) ऐसा वेतन जो उक्त प्रस्तर-2 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन नहीं आता।

(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

(7) अन्तरिम सहायता।

3—(1) उक्त प्रक्रिया के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" अवधारित करने के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान में प्रत्येक कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उसके विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर, यदि कोई हो, उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के अगले उच्च स्तर पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार आगणित धनराशि और पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा, जो उस समय संविलीन किया जायगा जब संबंधित कर्मचारी वृद्धिरोध वेतन-वृद्धि अर्जित करे अथवा प्रोन्नति के वेतनमान में नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि अर्जित करे।

(2) यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1986 और 31-3-1989 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, तो उसका पुनरीक्षित वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद के पुनरीक्षित वेतनमान के अतिरिक्त, किसी ऐसे स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में भी निश्चित किया जायेगा जिस पर वह दिनांक 1-1-1986 अथवा दिनांक 1-1-1986 से 31-3-1989 के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्यरत था और जिसके लिए उसने पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुना हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह उस विशिष्ट तिथि को जिससे उसने स्थानापन्न पद के लिए विकल्प चुना हो, वास्तव में उसी स्थानापन्न पद पर कार्यरत रहा हो।

(3) स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की अन्य पदों पर नियुक्ति पुनरीक्षित वेतनमानों में मानी जायेगी और उन पदों पर उसका वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी मध्यवर्ती स्थानापन्न पद का विकल्प नहीं चुना गया है, मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रारम्भिक वेतन निश्चित करना आवश्यक न होगा और ऐसे मध्यवर्ती स्थानापन्न पद/पदों पर वेतन निर्धारण का कोई लाभ किसी कर्मचारी को नहीं दिया जायेगा। जब किसी ऐसे कर्मचारी का मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रत्यावर्तन हो, तो उस पद पर उसका वेतन उसी प्रक्रम में निश्चित किया जायेगा जो वह उससे और उच्च पद के धारण न करने की दशा में पाता। ऐसी दशा में यह माना जायेगा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा उच्च स्थानापन्न पद के सम्बन्ध में चुने गये विकल्प की तिथि से ही वह मध्यवर्ती स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में आ गया।

(5) यदि किसी कर्मचारी द्वारा धारित मौलिक पद और स्थानापन्न पद दोनों के वेतनमान पुनरीक्षित होकर एक ही हो गये हैं और उक्त उप प्रस्तर 3 (1) के अनुसार स्थानापन्न पद पर निर्धारित प्रारम्भिक वेतन अपेक्षाकृत अधिक हो, तो मौलिक पद पर उसका प्रारम्भिक मौलिक वेतन, स्थानापन्न पद के वेतनमान में अनुमन्य "वर्तमान परिलब्धियों" के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) किसी कर्मचारी का यदि पुनरीक्षित वेतनमानों में उप प्रस्तर--3 (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भिक मौलिक और स्थानापन्न वेतन, दोनों एक ही प्रक्रम पर निर्धारित होता हो अथवा उसका स्थानापन्न वेतन उसके मौलिक वेतन से कम हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका प्रारम्भिक स्थानापन्न वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित उसके प्रारम्भिक मौलिक वेतन के अगले प्रक्रम पर पुनः निर्धारित किया जायेगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(7) ऐसे संवर्ग/पद जिनमें दिनांक 1-1-1986 तथा 31-3-1989 के बीच दो प्रकार के वेतनमान प्रचलित थे, उनमें संबंधित पदधारक का वेतन, यदि वह दिनांक 1-1-1986 का वेतनमान चुनता है, तो उसमें निर्धारित करने के बाद संशोधित वेतनमान में, यदि वह स्तर उपलब्ध है, तो उसी स्तर पर किया जायेगा, अन्यथा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान में अगला स्तर प्रदान किया जायेगा। उदाहरण के लिए ऐसा पद जिसका वेतनमान दिनांक 1-1-1986 को रु० 1660-2300 था और बाद में पुनरीक्षित होकर रु० 1840-2400 हुआ है, में यदि संबंधित पदधारक दिनांक 1-1-1986 को रु० 1660-2300 के पुनरीक्षित वेतनमान रु० 3200-4875 चुनने का विकल्प देता है और उसका वेतन उस वेतनमान में रु० 4250 के स्तर पर निर्धारित होता है, तो उस दिनांक से जिस दिनांक से इस पद का वेतनमान शासन ने संशोधित कर रु० 1840-2400 किया था और उसके आधार पर "समता समिति" द्वारा संस्तुत वेतनमान रु० 3700-5000 दिया जाता है, उसमें इसका वेतन चूंकि रु० 4250 का स्तर उपलब्ध नहीं है, इसलिए रु० 4325 पर निर्धारित किया जायेगा और अगली वेतन-वृद्धि उस दिनांक से एक वर्ष बाद देय होगी।

(8) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेलेक्शन ग्रेड अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतमान प्राप्त कर रहे थे, उसका वेतन, समता समिति द्वारा संस्तुत सम्बन्धित पद के वेतनमान में ही दिनांक 1-1-1986 से अथवा उसके विकल्प की तिथि से निर्धारित किया जायेगा। मेडिकल कालेजों के लेक्चरार तथा रीडर जिन्हें एक निश्चित सेवा अवधि के आधार पर प्रोन्नति का वेतनमान दिया गया हो, का वेतन निर्धारण भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार समता समिति द्वारा संस्तुत क्रमशः लेक्चरार तथा रीडर के वेतनमान में ही किया जायेगा। ऐसे पदधारक जो 16 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा के आधार पर समयमान वेतनमान के बाद प्रोन्नति का वेतनमान/उच्च वेतनमान में नियुक्त किये जा चुके थे, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार सीधे प्रोन्नति के वेतनमान में किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1-1-86 को पूरी कर ली थी और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है, उनका वेतन निर्धारण समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान में ही उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 1-1-86 को निर्धारित करने के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान में ही *अगले प्रक्रम में नियत कर दिया जाय।*

(9) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान *का अधिकतम रु० 3500 तक है, जो 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1-1-1986 के बाद आगामी तिथि को पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु* उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही *उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी* को, जिसे *यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतन-वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा।* रु० 3500 तक *के सम्बन्धित पदधारक जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायं तो उनके वेतनमानों को उनमें* अन्तिम वेतन-वृद्धि के बराबर 3 वेतन-वृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाय।

(10) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है और जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से पूर्ण हो जाती है, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। सेलेक्शन ग्रेड की सेवा की गणना दिनांक 1-7-1982 अथवा वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड की तिथि, जो भी बाद में हो, से की जायेगी। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1200-2040 में है, उसे रु० 1350-2200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा।

(11) ऐसे कर्मचारी, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 से अधिक है, वृद्धिरोध वेतन-वृद्धि की व्यवस्था लागू की जाय अर्थात् वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतन-वृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन-वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी। इस प्रकार अनुमन्य धनराशि वैयक्तिक वेतन मानी जायेगी।

टिप्पणी :--पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के कुछ उदाहरण संलग्नक "क" में दिये गये हैं।

पुनरीक्षित वेतनमान चुनने अथवा पुराने वेतनमान बनाये रखने का विकल्प

4--(1) ऐसे समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जो दिनांक 1-1-1986 को या दिनांक 1-1-1986 तथा 31-3-1989 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य राज्य सरकार की सेवा में थे, [सेवा का तात्पर्य उक्त अवधि में की गयी वाह्य सेवा अथवा अन्य शासन के अधीन प्रतिनियुक्ति पर की गयी सेवा मूल नियम 9(6) (बी) के अधीन ड्यूटी घोषित ट्रेनिंग की अवधि से होगा] उनके द्वारा धारित पदों के लिए अपना वर्तमान वेतनमान ही बनाये रखने या पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर देना होगा। जो कर्मचारी उपर्युक्त निर्धारित अवधि में अपना कोई विकल्प नहीं देगा उसके बारे में यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 1-1-1986 या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिया है। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1-1-1986 को या दिनांक 1-1-1986 से 31-3-1989 के मध्य किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो अपने मूल /मौलिक पद तथा जिस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो दोनों के संबंध में या तो वर्तमान वेतनमान ही बनाये रख सकता है या दोनों पदों के संबंध में पुनरीक्षित वेतनमान चुन सकता है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दूसरे शब्दों में, वह एक पद के लिए वर्तमान वेतनमान तथा दूसरे पद के लिये पुनरीक्षित वेतनमान नहीं चुन सकता, जब तक कि उनमें से एक पद का वेतनमान पुनरीक्षित ही न किया गया हो। यदि कोई कर्मचारी, जो मूल/मौलिक पद के लिये पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से स्थानापन्न पद के लिये पुनरीक्षित वेतनमान चुने, तो स्थानापन्न पद पर विकल्प चुनने की तिथि तक वह वर्तमान वेतनमान में ही वेतन पाता रहेगा। यदि कोई कर्मचारी अपने मूल/मौलिक और स्थानापन्न पद में से किसी एक के लिए सही विकल्प प्रस्तुत करता है और दूसरे के लिये अमान्य (Invalid) विकल्प अथवा दोनों के लिए अमान्य (Invalid) विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जायेगा कि जिस पद/पदों के लिए उसने अमान्य (Invalid) विकल्प दिया है, उस पर वह पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-1986 अथवा उसके बाद नियुक्ति की तिथि से जैसी भी स्थिति हो आ गया है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विकल्प की सूचना सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, जो भी प्राधिकारी संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें रखता हो, को संलग्नक "ख" के प्रपत्र में देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। यदि यह विकल्प सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न दिया जा सकता हो, तो उसे रजिस्ट्री डाक से (प्राप्ति की स्वीकृति-पत्र के साथ) भेजा जाना चाहिए।

यह बाद ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार चुना गया विकल्प महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुंच जाना चाहिये। इस प्रकार चुने गये विकल्प के बारे में प्रविष्टि जिसे समुचित रूप से प्रमाणित किया जाय, उन सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में भी की जानी चाहिये, जिनके वेतन तथा भत्ते विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों/कार्यलयाध्यक्षों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आहरित किये जाते हैं।

(2) यदि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुने तो वह उसे या तो पुनरीक्षित वेतनमान प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 1-1-1986 से या उसके बाद दिनांक 31-3-1989 तक पड़ने वाली किसी भी वेतन-वृद्धि के दिनांक से अथवा नियुक्ति के दिनांक से ऐसा कर सकता है। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड--2 भाग 2–4 के मूल नियम 23 में तद्नुसार आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी उच्च पद जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो और निम्न मूल/मौलिक पद, दोनों ही के सम्बन्ध में चाहे (I) एक ही दिनांक अर्थात् 1 जनवरी, 1986 या (II) दोनों पदों (उच्च अथवा निम्न) में से किसी भी एक पद के संबंध में दिनांक 31-3-1989 तक पड़ने वाली किसी भी वेतन-वृद्धि के दिनांक से अथवा (III) दानों पदों (उच्च तथा निम्न) के संबंध में दिनांक 1-1-1986 के बाद और दिनांक 31-3-89 तक पड़ने वाली वेतन-वृद्धि के भिन्न-भिन्न दिनांकों से पुनरीक्षित वेतनमान को चुन सकता है। पश्चातवर्ती दशाओं में उपर्युक्त प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर (5) या (6) के अधीन वेतन को पुनः निश्चित करने के संबंध में होने वाला लाभ उसे उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह उच्चतर पद के लिये वेतनमान को चुने अथवा उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह निम्न पद का वेतन चुने जो भी बाद में पड़े।

(4) ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 1986 और विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बिना विकल्प प्रस्तुत किये हुये हो गयी हो, यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी तिथि/तिथियों से पुनरीक्षित वेतनमान चुना था अथवा वर्तमान वेतनमान बनाये रखा था, जो भी उसे लाभप्रद हो। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वेतन नियत कर दिया जायेगा और संदेहापद मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संदर्भित होने पर अन्तिम निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(5) निलंबित कर्मचारियों को निम्नलिखित के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा :–

(क) ऐसे मामलों में जिनमें पुनरीक्षित वेतनमान, कर्मचारी के निलम्बन के पूर्व की तिथि से लागू हुए हैं, वहां कर्मचारी को मूल नियम--23 के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा यद्यपि विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि निलम्बन की अवधि में पड़ती हो। इस प्रकार से चुने गये विकल्प के फलस्वरूप बढ़े हुये वेतन का लाभ, यदि कोई हो, निलंबन के पूर्व की ड्यूटी की अवधि तथा निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ते के संबंध में संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य होगा।

(ख) (I) ऐसे मामलों में जिनमें पुनरीक्षित वेतनमान कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के मध्य से ही लागू हुए हों, और संबंधित कर्मचारी किसी पद पर "गहन" (lien) रखता हो, तो उसे विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा। ऐसे कर्मचारी को विकल्प का लाभ, निलम्बन की अवधि हेतु उस समय अनुमन्य होगा जब उसके पुनः पदस्थ करने संबंधी आदेश से यह विदित हो जाय कि उसके निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना गया है अन्यथा नहीं।

(II) यदि किसी निलम्बित कर्मचारी का गहन (lien) उस पद पर नहीं है, जिसका वेतनमान पुनरीक्षित हुआ है तो उसे मूल नियम-23 के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त न होगा तथापि यदि वह उस पद पर पुनः पदस्थ हो जाता है और निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना जाता है तो उसे पुनः

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पदस्थ होने के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। ऐसे प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यदि विकल्प प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि बीत चुकी हो।

(6) ऐसे मामलों में जब कोई कर्मचारी उस दिनांक को, जब से विकल्प चुना गया हो, छुट्टी पर रहा हो तो वेतन निम्नलिखित रीति से विनियमित होगा :–

(I) यदि छुट्टी की अवधि मूल नियम 26 (ग) के अधीन उसमें दी गयी शर्तों के पूरा करने तथा उसमें विहित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर मौलिक/मूल तथा स्थानापन्न पदों पर वेतन-वृद्धि के लिये जोड़ी जाती हो, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन, इस शासनादेश की शर्तों के अनुसार विकल्प चुनने के दिनांक से ही उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा मानों कि वह उस दिनांक को छुट्टी पर नहीं था, तथापि वेतन में वृद्धि का लाभ उसे केवल उसी दिनांक से ग्राह्य होगा जिस दिनांक को उसने कार्य-भार ग्रहण किया हो, किन्तु अगली वेतन-वृद्धि विकल्प के दिनांक के एक वर्ष बाद देय होगी।

(II) ऐसे मामलों में जहां छुट्टी की अवधि वेतन वृद्धि के लिये आगणित नहीं की जाती हो, सरकारी कर्मचारी का वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान में उसके छुट्टी से वापस आने के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा। ऐसी दशा में उसे अगली वेतन-वृद्धि कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से ड्यूटी की निर्धारित अवधि के पूरे होने के बाद ही देय होगी, सिवाय उस दशा के जब वह मूल नियम 31 (2) के अधीन उससे पूर्व दिनांक से वेतन के पुनः निर्धारण के लिये हकदार हो जाय। मूल नियम 31(2) में समुचित रूप से संशोधन किया जायेगा।

5—सभी कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् निम्नलिखित शासनादेश द्वारा विभिन्न तिथियों से उनमें उल्लिखित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है :–

(क) सं० वे० आ०-1—30/दस-36 (एम)/86, दिनांक 3 जनवरी, 1987

(ख) सं० वे० आ०-1—1101/दस-36 (एम)/86, दिनांक 23 मई, 1987

(ग) सं० वे० आ०-1—3366/दस-36 (एम)/86, दिनांक 9 मार्च, 1988

(घ) सं० वे० आ०-1—1234/दस-48 (एम)/88, दिनांक 15 जून, 1988

(च) सं० वे० आ०-1—3453/दस-48 (एम)/88, दिनांक 7 जनवरी, 1989

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते की उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित वेतन श्रेणी तथा महंगाई भत्ते की मासिक दरें यथावत् रहेंगी किन्तु वेतन सीमा के आगणन हेतु दिनांक 1-1-1986 को पुराने वेतनमान के साथ देय महंगाई भत्ता की धनराशि को जोड़ने का प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान अभी पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं उन्हें वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता उस समय तक पूर्ववत् मिलता रहेगा. जब तक उनके वेतनमान पुनरीक्षित न कर दिये जायं। उन्हें अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तें भी पूर्ववत् उस समय तक मिलती रहेंगी जब तक उनके भुगतान के संबंध में कोई अन्य आदेश जारी न कर दिये जायं।

6—पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के पश्चात् कर्मचारियों को दिनांक 1-11-1986, 1-6-1987 तथा 1-9-1987 से स्वीकृत अन्तरिम सहायता का भुगतान बन्द कर दिया जायगा तथा महंगाई भत्ते का आगणन उपर्युक्त प्रस्तर–5 के अनुसार किया जायगा। जो कर्मचारी अपने वर्तमान वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दें उन्हें अपने उसी वेतनमान में वेतन तथा वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता मिलती रहेगी।

7—विभिन्न प्रकार के भत्तों आदि के बारे में आदेश अलग से जारी किये जा चुके हैं। वेतन सीमा के आधार पर पुनरीक्षित दरों पर विभिन्न भत्तों को देने के लिये वेतन सीमा निर्धारित करने हेतु वेतन के साथ महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तदर्थ महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तों की धनराशि जोड़ने की प्रक्रिया पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा वेतन सीमा के आधार पर विभिन्न भत्ते पुनरीक्षित वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।

पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन वृद्धि का दिनांक एवं दक्षतारोक तथा अवशेष का भुगतान

8—किसी ऐसे कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि, जिसका वेतन उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में निश्चित किया गया है, उस दिनांक से एक वर्ष के बाद उन मामलों को छोड़कर जो कि ऊपर प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर (6) से नियंत्रित हो, स्वीकृत की जायेगी, जिससे वह पुनरीक्षित वेतनमान में आने का विकल्प चुने।

9—पुनरीक्षित वेतनमान चुनने वाले कर्मचारी का वेतन ऊपर प्रस्तर-3 में बतायी गयी रीति से निश्चित किया जायगा और दक्षतारोक, संलग्नक, "ग" में दिये गये अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही कार्यान्वित होंगे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

10—यदि किसी राज्य कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो, तो उसके पुनरीक्षित वेतनमान में पुनः दक्षतारोक पार करने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि वर्तमान वेतनमान में उसके दक्षतारोक पार करने के दिनांक से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो चुकी हो। ऐसे मामलों में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कर्मचारी ने पुनरीक्षित वेतनमान में भी दक्षतारोक पार कर ली है और उसे पुनरीक्षित वेतनमान में दक्षतारोक पार करने की अनुमति देने के लिये कोई औपचारिक आदेश जारी करना आवश्यक न होगा। यदि पुनरीक्षित वेतनमान में दक्षतारोक प्रक्रम पांच साल की अवधि के बाद पड़ता हो तो इस प्रक्रम पर पहुंच कर दक्षतारोक पार करना आवश्यक होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि वर्तमान वेतनमान से तात्पर्य उस पद के वेतनमान से है जिससे संबंधित कर्मचारी ने दक्षता रोक पार की है। यदि किसी कर्मचारी ने निचले पद के वेतनमान में पांच वर्ष के अन्दर दक्षता रोक पार की है किन्तु जिस उच्च पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है उसमें यदि दक्षता रोक पांच वर्ष के अन्दर पड़ रही हो तो उसे उच्च वेतनमान में दक्षता रोक पार करना आवश्यक होगा।

11—ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक प्रक्रम पर रोक लिया गया हो, के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये जाने पर कोई रोक नहीं है और जब ऐसा किया जायेगा तो पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन उस आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से पुनः निर्धारित कर दिया जायेगा।

12—समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 31-3-89 के पश्चात् सेवा में प्रविष्टि हुए हों अथवा पदोन्नत हुये हों, स्वतः नया वेतनमान और नये आधार पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता पायेंगे।

13—दिनांक 1-1-86 या विकल्प की तिथि को पुनरीक्षित वेतनमान में दी जाने वाली धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुये अवशेष निकाला जायेगा जो संबंधित कर्मचारी ने उस दिनांक को पुराने वेतनमान में वेतन, महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता के रूप में समय-समय पर आहरित किया हो। ऐसे मामले जिनमें विशेष वेतन समाप्त कर दिया गया हो, उनमें पुराने वेतन के साथ उक्त विशेष वेतन की धनराशि भी सम्मिलित की जायेगी। इस प्रकार यदि वेतन निर्धारण की तिथि को किसी कर्मचारी द्वारा आहरित पूर्व परिलब्धियां नये वेतनमान की परिलब्धियों से अधिक हो तो उस अन्तर के बराबर धनराशि वैयक्तिक रूप से दी जायेगी।

14—पुनरीक्षित वेतन में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान निम्न प्रकार किया जायगा :—

(क) दिनांक 1-1-86 से 31-12-86 तक की अवशेष धनराशि, कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में अलग से जमा की जायेगी और तीन वर्ष तक किसी भी प्रकार के आहरण के लिये इसकी गणना भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि में नहीं की जायेगी। तीन वर्ष के बाद इस धनराशि का नियमानुसार आहरण हो सकेगा।

(ख) दिनांक 1-1-87 से 31-5-87 तक अवशेष धनराशि भी कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायगी किन्तु इसका नियमानुसार आहरण किया सकेगा।

(ग) दिनांक 1-6-87 से 31-3-89 तक की अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत नगद भुगतान होगा और 50 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में जमा किया जायगा। जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं खुले होंगे, उनको देय अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में दी जायगी। किन्तु धनराशि के जिस अंश का बचत प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है वह उसे नकद दी जायेगी।

(घ) दिनांक 1-4-89 से समस्त धनराशि का नकद भुगतान किया जायगा।

15—ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-86 से 31-3-89 तक सेवा-निवृत्त हुये होंगे, उन्हें नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 30-11-89 तक सेवा-निवृत्त होने वाले हो उन्हें भी देय अवशेष का नकद भुगतान किया जायेगा।

16—उपर्युक्त वेतन निर्धारण संबंधी आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिन पर समता समिति की संस्तुतियां लागू होती हैं, पर लागू होंगे।

17—वेतन समिति (1987) की संस्तुतियों पर निर्गत नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या वे० आ०-1—2671/दस-63 (एम)/1988, दिनांक 20 सितम्बर, 1988 को निरस्त समझा जाय।

संलग्नक : उपर्युक्त के अनुसार

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना,

प्रमुख सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : वे० आ०-1-1763 (1)/दस-39 (एम)/89, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।

2—उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव।

3—रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

4—उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5—रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय।

6—निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7—प्रिंसिपल, समस्त मेडिकल कालेज।

8—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या : वे आ०-1—1763(2)/दस-39 (एम)/89, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि महालेखाकार-1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या : वे आ०-1—1763(3)/दस-39 (एम)/89, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकायें, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4—निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें/अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5—रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

6—उत्तर प्रदेश के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।

7—प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

8—प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

9—प्रधानाचार्य, डी० ई० आई० इंजीनियरिंग कालेज, दयालबाग आगरा।

10—निदेशक, के० एन० आई० संस्थान, सुल्तानपुर।

11—निदेशक, एच० बी० टी० आई०, कानपुर।

12—निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, लखनऊ।

13—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

14—प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल० टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

15—प्रधानाचार्य, डी० ए० वी० (एल० टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

16—प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल० टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

17—प्रधानाचार्य, के० पी० रमण (एल० टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

आर० सी० अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संलग्नक ''क''

उदाहरण–1

पदनाम : चपरासी

वर्तमान वेतनमान : रु० 305—5—330—द० रो०—6—360—द० रो०—6—390

पुनरीक्षित वेतनमान : रु० 750—12—870—द० रो०—14—940

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 को मूल वेतन	305.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन-वृद्धि	5.00
(3) मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अति० महंगाई भत्ता	256.20
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	...
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 175)	175.00
(6) दिनांक 1–1–86 की वर्तमान परिलब्धियां	741.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	750.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	750.00

उदाहरण–2

पदनाम : चपरासी

वर्तमान वेतनमान : रु० 305—5—330—द० रो०—6—360—द० रो०—6—390

पुनरीक्षित वेतनमान : रु० 750—12—870—द० रो०—14—940

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 के बाद विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	330.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन-वृद्धि	...
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अति० महंगाई भत्ता (दिनांक 1–1–86 को अनुमन्य दरों पर)	277.20
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	...
(5) विकल्प के दिनांक को मूल वेतन का 33.3 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 175)	175.00
(6) विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में कुल परिलब्धियां	782.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	786.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प के दिनांक को निर्धारित होने वाला वेतन	786.00

उदाहरण–3

पदनाम : सीनियर इनवेस्टीगेटर

वर्तमान वेतनमान : रु० 625—30—835—द० रो०—30—925—35—1065—द० रो०—35—1240

पुनरीक्षित वेतनमान : रु० 1600—50—2300—द० रो०—60—2660

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 को मूल वेतन	925.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	35.00
(3) मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	647.50
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	...
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	319.70
(6) दिनांक 1–1–86 की वर्तमान परिलब्धियां	1927.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	1950.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	1950.00

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उदाहरण–4

पदनाम	:	सीनियर इन्वेस्टीगेटर
वर्तमान समयमान वेतनमान	:	रु० 925—35—1065—द० रो०—35—1240—40—1360
पुनरीक्षित वेतनमान	:	रु० 1600—50—2300—द० रो०—60—2660

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	1240.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	40.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	868.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	...
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	426.20
(6) दिनांक 1–1–86 को वर्तमान परिलब्धियां	2574.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2600.00
(8) दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	2600.00

उदाहरण–5

पदनाम	:	अधीक्षण अभियन्ता
वर्तमान वेतनमान	:	रु० 2050—75—2200—100—2500
पुनरीक्षित वेतनमान	:	रु० 4100—125—4850—150—5300

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 को मूल वेतन	2400.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	100.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	1080.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता (1–4–86 को अनुमन्य)	258.10
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत (अधिकतम रु० 700)	700.00
(6) दिनांक 1–1–86 को वर्तमान परिलब्धियां	4538.10
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	4600.00
(8) दिनांक 1–1–86 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित होने वाला वेतन	4600.00

उदाहरण–6

पदनाम	:	संख्या सहायक
वर्तमान वेतनमान	:	रु० 570—25—770—द० रो०—30—980—द० रो०—30—1100
पुनरीक्षित वेतनमान	:	रु० 1400—40—1600—50—2300—द० रो०—60—2600

	(रु०)
(1) दिनांक 1–1–86 को मूल वेतन	950.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	30.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	665.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	...
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	326.30
(6) दिनांक 1–1–86 को वर्तमान परिलब्धियां	1971.30
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2000.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	2000.00
(9) यदि पदधारक दिनांक 1–1–86 को 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर सेलेक्शन ग्रेड पाने के लिए अर्ह है, तो 1–1–86 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित होने वाले वेतन पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	2050.00

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संलग्नक "ख"

विकल्प का प्रपत्र

(क) उन कर्मचारियों के लिये जो पुनरीक्षित वेतनमान के लिये विकल्प चुनें।

मैं--घोषणा करता हूँ कि मैं--------------------------------रु० के पुनरीक्षित वेतनमान के लिये ---के अपने मौलिक* / मूल पद के लिए (1) 1 जनवरी, 1986/ (2)* अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक----------से जो 1 जनवरी, 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है* और--रु० के पुनरीक्षित वेतनमान के लिये --के पद में स्थानापन्न नियुक्ति के लिये (1) 1 जनवरी, 1986 (2)* स्थानापन्न नियुक्ति में अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक ----------------------------------से जो 1 जनवरी, 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है,* विकल्प चुनता हूँ। मैं यह भी स्पष्ट रूप से विकल्प देता हूँ कि मूल/मौलिक पद पर मेरा वेतन प्रस्तर 3 (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाय। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिहार्य होगा।

हस्ताक्षर --
पूरा नाम--
पदनाम--
कार्यालय--
दिनांक--

(जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 और 31-3-89 के मध्य नियुक्त हुए हों उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1986 के स्थान पर अपनी नियुक्ति के दिनांक का उल्लेख करना चाहिये, यदि वे अपनी नियुक्ति के दिनांक से विकल्प चुनते हैं।)

(ख) उन कर्मचारियों के लिये जो वर्तमान वेतनमान के लिये विकल्प चुनें।

मैं------------------------------घोषणा करता हूँ कि मैं-------------------------------- के अपने मौलिक*/मूल पद में --रु० के वर्तमान वेतनमान में और--------------------के स्थानापन्न पद में------------ --रु० के वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प चुनता हूँ।

हस्ताक्षर --
पूरा नाम--
पदनाम--
कार्यालय--
दिनांक--

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा विकल्प के प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किये जाने के लिये निर्देश।

संख्या--
दिनांक--

सेवा में,

महोदय,

मुझे शासनादेश, संख्या .... दिनांक.................... में दी हुई शर्तों के अनुसार.................प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये आपके विकल्प दिनांक........................की प्राप्ति स्वीकार करने का निदेश हुआ है। मैं शासनादेश संख्या...दिनांक.........................में दी हुई शर्तों के अनुसार.............. प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये विकल्प दिनांक.....................की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर तथा पदनाम

नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी

(*) जो बात लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संलग्नक "ग"

प्रस्तर-9

1-1-1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमान (रु०)
1	2
1	750—12—870—द० रो० — 14—940
2	775—12—955—द० रो० — 14—1025
3	825—15—900—द० रो० — 20—1200
4	950—20—1150—द० रो० — 25—1400
5	950—20—1150—द० रो० — 25—1500
6	975—25—1150—द० रो० — 30—1540
7	975—25—1150—द० रो० — 30—1660
8	1200—30—1440—द० रो० — 30—1800
9	1200—30—1560—द० रो० — 40—2040
10	1320—30—1560—द० रो० — 40—2040
11	1350—30—1440—40—1800—द० रो० — 50—2200
12	1400—40—1800—द० रो० — 50—2300
13	1400—40—1800—द० रो० — 50—2400
14	1400—40—1600—50—2300—द० रो० — 60—2600
15	1600—50—2300—द० रो० — 60—2600
16	1600—50—2300—द० रो० — 60—2660
17	1640—60—2600—द० रो० — 75—2900
18	2000—60—2300—द० रो० — 75—3200
19	2000—60—2300—द० रो० — 75—3200—100—3500
20	2375—75—3200—द० रो० — 100—3500
21	2200—75—2800—द० रो० — 100—4000
22	2350—75—2800—द० रो० — 100—4000
23	2350—75—2800—द० रो० — 100—4300
24	3000—100—3500—125—4500
25	3000—100—3500—125—4750
26	3200—100—3500—125—4875
27	3700—125—4700—150—5000
28	3200—125—4700—150—5300
29	4100—125—4850—150—5300
30	4500—150—5700
31	5100—150—5700
32	5100—150—6150
33	5900—200—6700
	एलोपैथिक मेडिकल कालेज
1	2350—75—2800—द० रो० — 100—4300
2	3200—100—3500—125—4875
3	3825—125—4700—150—5600
4	5900—200—6700

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

1	2
	आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक मेडिकल कालेज
1	2275—75—2800—द० रो० — 100 —4100
2	2350—75—2800—द० रो० — 100—4400
3	3000—100—3500—125—4750
4	3200—100—3500—125—5000
	राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक वर्ग के लिए
1	850 नियत
2	950—20—1150—द० रो० — 25—1400
3	975—25—1150—द० रो० — 30—1540 (प्रारम्भिक वेतन रु० 1100)
4	975—25—1150—द० रो० — 30—1660—30—1840 (प्रारम्भिक वेतन रु० 1360)
5	1200—30—1560—द० रो० — 40—2040 (प्रारम्भिक वेतन रु० 1350).
6	1350—30—1440—40—1800—द० रो० — 50—2200 (प्रारम्भिक वेतन रु० 1480)
7	1400—40—1800—द० रो० — 50—2300
8	1600—50—2300—द० रो० — 60—2660
9	2000—60—2300—द० रो० — 75—3200—100—3500
10	2200—75—2800—द० रो० — 100—4000

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 83 सा० वित्त—26-8-98—(1057)—30,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–1029/दस–308-97

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2000

विषय : कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 एवं शासनादेश संख्या-सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13-4-200 एवं शासनादेश संख्या सा–3–697–दस–308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनरों की पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी ने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि, अन्तिम आहरित वेतन के 30% से कम नहीं होगी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–697/दस–309/97, दिनांक 5-5-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि जो कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु दिनांक 30-9-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है, परन्तु 10 माह का औसत वेतन प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अवधि में आहरित वेतन के 40% का वेटेज दे दिया जाए।

2—उपरोक्त निर्गत कार्यालय-ज्ञापों एवं शासनादेशों के संदर्भ में शासन को विभिन्न क्षेत्रों से कतिपय जिज्ञासा/प्रस्ताव संदर्भित हुए जिन पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निदेश हुए हैं :–

1—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 के अधीन प्रार्थना-पत्र देने हेतु—

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-1998 के अधीन दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। शासन स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत ही कम मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी०पी०ओ० निर्गत किये गये हैं और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका है। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या-सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध–1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन-पत्र भरकर उसमें की गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी को ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में भरे गये प्रपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसे प्रपत्र शासनादेश निर्गत होने के 180 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाएं। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06 माह के भीतर महालेखाकार से शासनादेश दिनांक 24-8-1998 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13-4-2000 की न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30%) सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

2—शासनादेश संख्या सा–3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के संदर्भ में—

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहां उक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2000 का लाभ केवल 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु ही किया जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। उक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की व्यवस्था दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग-एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ–1 के प्रस्तर–2 में दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, की पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग–2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशनभोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

2(I)—शासनादेश संख्या सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह आदेश प्रसारित है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी की पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी वशर्ते कि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी है कि उपरोक्त प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अन्तर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण विगत 1-1-1996 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही अनुमन्य है) और यह अनुपात अंतर की धनराशि के एक भाग के राशिकरण हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

क—कोषाधिकारी द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

ख—उपरोक्त (क) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन और मूलतया स्वीकृत पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण कराने के इच्छुक पेंशनर अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर परीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

ग—राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

घ—शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि का राशिकरण कराने के लिये स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ—उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होंगी अर्थात् पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष होगी।

अ—यदि किन्हीं मामलों में पुनरीक्षण पेंशन के एक अंश का राशिकरण कराने का विकल्प देने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है/हो जाती है तो उसके परिवार को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2(II)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-1 के प्रस्तर-9 एवं भाग-2 के प्रस्तर-1(III) में यह व्यवस्था है कि कोषाधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि वे किये गये संशोधन के सही/गलत होने की पुष्टि 6 माह की अवधि में कर दें। इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि क्योंकि दिनांक 1-8-1985 से शनैः-शनैः पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश से लेकर संबंधित विभागों को दिया जा चुका है, अतएव संबंधित संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेंगे जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात् यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये हैं तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस अधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

2 (III)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-2 के प्रस्तर-1 में व्यवस्था है कि "दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यदि भविष्य में किसी कर्मचारी के अन्तिम दस माह के औसत के आधार पर पूर्ण पेंशन उसके 1-1-1996 के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे मूल प्राधिकार-पत्र निर्गत करते समय ही इस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु अर्हकारी सेवा पूर्ण (33 वर्ष) न होने पर यह अनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी। यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी।

3—शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में—

दिनांक 1-1-1996 से जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के माहों में आहरित वेतन पर 40% वेटेज का लाभ नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 10 माह के औसत वेतन की धनराशि कम हो रही थी और पेंशन में हानि हो रही है। शासनादेश दिनांक 5-5-2000 से उक्त प्रकार के मामलों में औसत वेतन की गणना हेतु 40% का लाभ दे दिया गया है। अतएव ऐसा विश्वास किया जाता है कि कर्मचारी की पेंशन में हो रही हानि की पूर्ति हो जायेगी, परन्तु यह भी संभावना है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते है जिसमें 40% वेटेज का लाभ देने के उपरान्त भी पुनरीक्षित पूर्ण पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक न पहुंचे। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन पुनरीक्षित करते समय यदि ऐसी स्थिति आती है कि 40% वेटेज का लाभ देने के बावजूद भी पूर्ण पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे 50% तक कर दिया जाए। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जाएगी। संबंधित प्राधिकारी पेंशन संशोधित करते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–1029(1)/दस–308-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2—सचिव, विधान सभा, विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग।

8—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 40 सा० वित्त–19-6-2000–(805)–25,000–कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या वे० आ०-1-377/दस-2000-42 (एम)-97

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-4, प्राग नारायण रोड, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2000

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2000 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

(1) शासनादेश संख्या वे० आ०-1-203/दस-42 (एम)/97, दिनांक 22 मार्च, 2000।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन एफ-सं०-1(1)/2000-संस्था-II (ख)/325, दिनांक 5 अप्रैल, 2000।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र० सं० (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2000 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2000 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2000	वेतन का 38 प्रतिशत

2—इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर 3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3—ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र० सं० (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2000 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2000 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 30 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

4—इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 31 मई, 2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2000 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा०-4-12-दस—97-500 (1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5—इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान रु० 10,500 या उससे कम प्रति माह वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2000 से नकद किया जायेगा। रु० 10,500 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित अंशदान की तरह अलग से माह फरवरी, 2001 (जिसका भुगतान दिनांक 01 मार्च, 2001 को देय होगा) तक, उस पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी। सामान्य भविष्य निधि खाते में इस प्रकार जमा की जाने वाली धनराशि को सामान्य भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दे दी जायेगी।

6—इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाऐं इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या वे०आ०-1-377/दस-2000—42(एम)-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं०-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001।

(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(5) सचिव, विधान सभा/परिषद् , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(6) निबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(7) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(8) संयुक्त निदेशक कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(9) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।

(10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(11) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग –1, 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।

(13) समस्त ए० वि० प० अनुभाग वित्त (ई–6), वित्त (ई–11), वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, 2, उत्तरांचल विकास अनुभाग–2, चिकित्सा अनुभाग–2, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3, आवास अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3 ।

(14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
आर० के० वर्मा,
संयुक्त सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 58 सा० वित्त—29-7-2000—(1075)—2000—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0, Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या वे० आ०–1-377/दस–2000—42 (एम)-97

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–4, प्राग नारायण रोड, लखनऊ।

(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2000

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2000 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या वे० आ०–1-203/दस–42 (एम)/97, दिनांक 22 मार्च, 2000।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन एफ–सं०-1(1)/2000–संस्था–II (ख)/325, दिनांक 5 अप्रैल, 2000।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र० सं० (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2000 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2000 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2000	वेतन का 38 प्रतिशत

2—इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर 3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3—ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र० सं० (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2000 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2000 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 30 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

4—इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 31 मई, 2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2000 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा०-4-12-दस—97-500 (1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5—इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान रु० 10,500 या उससे कम प्रति माह वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2000 से नकद किया जायेगा। रु० 10,500 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित अंशदान की तरह अलग से माह फरवरी, 2001 (जिसका भुगतान दिनांक 01 मार्च, 2001 को देय होगा) तक, उस पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी। सामान्य भविष्य निधि खाते में इस प्रकार जमा की जाने वाली धनराशि को सामान्य भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दे दी जायेगी।

6—इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाऐं इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या वे०आ०-1-377/दस-2000—42(एम)-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं०-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001।

(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(5) सचिव, विधान सभा/परिषद् , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(6) निबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(7) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(8) संयुक्त निदेशक कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(9) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।

(10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(11) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग –1, 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।

(13) समस्त ए० वि० प० अनुभाग वित्त (ई–6), वित्त (ई–11), वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, 2, उत्तरांचल विकास अनुभाग–2, चिकित्सा अनुभाग–2, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3, आवास अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3।

(14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० के० वर्मा,

संयुक्त सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 58 सा० वित्त—29-7-2000—(1075)—2000—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा०-3-1066/दस-301/2000

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-29/दस-301-99, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1-1-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार राहत की दर बढ़कर 38 प्रतिशत हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10 (3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.-3-1066/X-301/2000

Dated Lucknow, July 31, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-29/X-301-99, Dated April 01, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from July 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 1% (one percent) with effect from January 1, 2000 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated April 1, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.01.2000 has risen to 38%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 59 सा० वित्त—4-8-2000—(1103)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation; Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा०–3–1066/दस–301/2000
लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3-29/दस–301–99, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1–1–1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार राहत की दर बढ़कर 38 प्रतिशत हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस–10 (3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.–3–1066/X–301/2000
Dated Lucknow, July 31, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.–3–29/X–301–99, Dated April 01, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from July 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 1% (one percent) with effect from January 1, 2000 in *supersession of the rates mentioned in the O.M., dated April 1, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.01.2000 has risen to 38%.*

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,

सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,

Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 59 सा० वित्त—4-8-2000—(1103)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा०–3–1066/दस–301/2000
लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–3–29/दस–301–99, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1–1–1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं। तद्नुसार राहत की दर बढ़कर 38 प्रतिशत हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस–10 (3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.–3–1066/X–301/2000
Dated Lucknow, July 31, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.–3–29/X–301–99, Dated April 01, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from July 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 1% (one percent) with effect from January 1, 2000 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated April 1, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.01.2000 has risen to 38%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1-252/X-10 (3)–81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 59 सा० वित्त—4-8-2000—(1103)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–1029/दस–308-97

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2000

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

विषय : कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 एवं शासनादेश संख्या-सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13-4-200 एवं शासनादेश संख्या सा–3–697–' दस–308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनरों की पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी ने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि, अन्तिम आहरित वेतन के 30% से कम नहीं होगी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–697/दस–309/97, दिनांक 5-5-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि जो कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु दिनांक 30-9-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है, परन्तु 10 माह का औसत वेतन प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अवधि में आहरित वेतन के 40% का वेटेज दे दिया जाए।

2—उपरोक्त निर्गत कार्यालय-ज्ञापों एवं शासनादेशों के संदर्भ में शासन को विभिन्न क्षेत्रों से कतिपय जिज्ञासा/प्रस्ताव संदर्भित हुए जिन पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निदेश हुए हैं :–

1—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 के अधीन प्रार्थना-पत्र देने हेतु—

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-1998 के अधीन दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। शासन स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत ही कम मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी०पी०ओ० निर्गत किये गये हैं और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका है। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या-सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध-1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन-पत्र भरकर उसमें की गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी को ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में भरे गये प्रपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसे प्रपत्र शासनादेश निर्गत होने के 180 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाएं। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06 माह के भीतर महालेखाकार से शासनादेश दिनांक 24-8-1998 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13-4-2000 की न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30%) सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

2—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के संदर्भ में—

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहां उक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2000 का लाभ केवल 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु ही किया जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। उक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की व्यवस्था दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग-एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ–1 के प्रस्तर–2 में दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, की पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग–2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशनभोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

2(I)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह आदेश प्रसारित है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी की पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी वशर्ते कि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी है कि उपरोक्त प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अन्तर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण विगत 1-1-1996 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही अनुमन्य है) और यह अनुपात अंतर की धनराशि के एक भाग के राशिकरण हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

क—कोषाधिकारी द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

ख—उपरोक्त (क) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन और मूलतया स्वीकृत पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण कराने के इच्छुक पेंशनर अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर परीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

ग—राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

घ—शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि का राशिकरण कराने के लिये स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ—उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होंगी अर्थात् पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष होगी।

अ—यदि किन्हीं मामलों में पुनरीक्षण पेंशन के एक अंश का राशिकरण कराने का विकल्प देने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है/हो जाती है तो उसके परिवार को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2(II)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-1 के प्रस्तर-9 एवं भाग-2 के प्रस्तर-1(III) में यह व्यवस्था है कि कोषाधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि वे किये गये संशोधन के सही/गलत होने की पुष्टि 6 माह की अवधि में कर दें। इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि क्योंकि दिनांक 1-8-1985 से शनैः-शनैः पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश से लेकर संबंधित विभागों को दिया जा चुका है, अतएव संबंधित संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेंगे जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात् यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये हैं तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस अधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

2 (III)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-2 के प्रस्तर-1 में व्यवस्था है कि "दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यदि भविष्य में किसी कर्मचारी के अन्तिम दस माह के औसत के आधार पर पूर्ण पेंशन उसके 1-1-1996 के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे मूल प्राधिकार-पत्र निर्गत करते समय ही इस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु अर्हकारी सेवा पूर्ण (33 वर्ष) न होने पर यह अनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी। यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी।

3—शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में—

दिनांक 1-1-1996 से जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के माहों में आहरित वेतन पर 40% वेटेज का लाभ नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 10 माह के औसत वेतन की धनराशि कम हो रही थी और पेंशन में हानि हो रही है। शासनादेश दिनांक 5-5-2000 से उक्त प्रकार के मामलों में औसत वेतन की गणना हेतु 40% का लाभ दे दिया गया है। अतएव ऐसा विश्वास किया जाता है कि कर्मचारी की पेंशन में हो रही हानि की पूर्ति हो जायेगी, परन्तु यह भी संभावना है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते है जिसमें 40% वेटेज का लाभ देने के उपरान्त भी पुनरीक्षित पूर्ण पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक न पहुंचे। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन पुनरीक्षित करते समय यदि ऐसी स्थिति आती है कि 40% वेटेज का लाभ देने के बावजूद भी पूर्ण पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे 50% तक कर दिया जाए। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जाएगी। संबंधित प्राधिकारी पेंशन संशोधित करते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–1029(1)/दस–308-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2—सचिव, विधान सभा, विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग।

8—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए०पी० 40 सा० वित्त—19-6-2000—(805)—25,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग--3

संख्या सा0-3-भा0 स0-32 / दस-90-958-80

लखनऊ, दिनांक 6 दिसम्बर, 1990

कार्यालय ज्ञाप

विषय :--पेंशन के राशिकृत भाग का सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन)।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के आधार पर पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0-3-1587 / दस-87-958-80 दिनांक 23 जुलाई, 1987 में यह आदेश जारी किए गए थे कि पेंशन के राशिकृत भाग को सेवानिवृत्ति के दिनांक के 15 वर्ष बाद दिनांक 1-7-87 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1-7-87 के बाद पूरी होती हो तो उस दिनांक से पुनर्स्थापित कर दिया जाये।

2--केन्द्रीय शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब यह स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के 15 वर्ष बाद राशिकरण के पुनर्स्थापन की व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू रहेगी जिनमें राशिकरण सेवानिवृत्ति के साथ-साथ प्रभावी हुआ है तथा अन्य मामलों में राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन उस तिथि के 15 वर्ष बाद माना जायेगा जबकि राशिकरण पूर्ण हुआ हो अर्थात् राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की धनराशि से अपेक्षित कमी की गई हो। तद्नुसार राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किए हैं कि राशिकरण के पुनर्स्थापन के मामलों में उपर्युक्तानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, किन्तु यदि इस बीच कोई मामले अन्यथा निस्तारित हो चुके हों तो उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा0-3-भा0 स0-32 (1) / दस-90-958-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3--विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय।
4--राज्यपाल सचिवालय।
5--निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6--सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।
7--भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय, लखनऊ — 1000 प्रतियां
8--असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एल0 आई0 सी0 इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, 45 हजरतगंज, लखनऊ। — 1350 प्रतियां
9--असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ — 500 प्रतियां
10--जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ — 400 प्रतियां
11--जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, 1 नवल किशोर रोड, लखनऊ — 50 प्रतियां
12--रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ, फूलबाग क्रासिंग, माल रोड, कानपुर (70), 35 आवास विकास कालोनी, बतिया हाता, गोरखपुर (45), विभव-नगर, समसाबाद रोड, आगरा (40), 18, न्यू रोड, देहरादून (75), मेरठ "ए" एवं मेरठ "बी" ईस्टर्न कचेहरी रोड (60-70) प्रतियां। — 70 प्रतियां, कुल 450 प्रतियां
13--रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, एच 1 / 117 / 240, पाण्डुनगर, कानपुर (60), कृष्णा विलास, महुआ बाग, गाजीपुर टी0 डी0 कालेज के सामने जौनपुर, (60), रथयात्रा क्रासिंग, वाराणसी (60), गोयल भवन, पाण्डे बाजार आजमगढ़, 1940, गढ़मार्ग, यू0 पी0 आर0 एस0 टी0 के सामने मेरठ। — प्रत्येक को 50 प्रतियां
14--रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, 4-बी, हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ — 100 प्रतियां
15--रीजनल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, राचा बिल्डिंग थर्ड फ्लोर, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूनम रोड, पटेलनगर पोस्ट, नई दिल्ली। — 30 प्रतियां
16--असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ — 110 प्रतियां

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

17--	डिवीजनल मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक, 6, भगवानदास मार्ग, सरोजनी भवन, नई दिल्ली।	200 प्रतियां
18--	डिवीजनल मैनेजर, कैनारा बैंक, 71, नेहरू नगर, एम0 जी0 रोड, आगरा-2।	50 प्रतियां
19--	रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ज्योडोर हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	35 प्रतियां
20--	जनरल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 1-ई, झण्डेवाला प्रसार, नाज के पास, दिल्ली-110055।	35 प्रतियां
21--	असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/44, डब्लू0 ई0 ए0, अजमल खान रोड, करोलबाग, नई दिल्ली।	50 प्रतियां
22--	मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0 398-11, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001।	1200 प्रतियां
23--	रीजनल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, लारोज होटल कम्पाउण्ड, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट बाक्स नं0 147, आगरा-282001।	250 प्रतियां
24--	रीजनल मैनेजर, स्टेट बैंक, 52, राजपुर रोड, पोस्ट बाक्स नं0 204, देहरादून।	250 प्रतियां
25--	रीजनल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, गढ़रोड, पोस्ट बाक्स नं0 156, मेरठ।	250 प्रतियां
26--	रीजनल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, जहांगीराबाद मेन्शन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001।	100 प्रतियां
27--	डिवीजनल मैनेजर, कैनारा बैंक, प्रतिभा थिएटर के पास, लखनऊ।	50 प्रतियां
28--	प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।	

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा0-3-भा0 स0-32 (2)/दस-90-958-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :--

1--प्रेसीडेन्ट, पेंशनर्स फेडरेशन आफ यू0 पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 3-सी-9, पार्क रोड, लखनऊ।
2--अध्यक्ष, आल-इण्डिया आर्गनाइजेशन आफ पेंशनर्स, 1/13/20, स्वरूप नगर, कानपुर।
3--यू0 पी0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद्, 343, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
4--जनरल सेक्रेटरी, गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, माडल हाउस, लखनऊ।
5--अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, डी0-62, पाण्डुरंग, बाडी, ए0 बी0 नायर रोड, जुहू, बम्बई-400049।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 110 सा0 वित्त--26-12-90--(2747)--1990--20,000 (हिन्दी)।